मसौदा

23वीं कांग्रेस के लिए राजनीतिक प्रस्ताव

(7–9 जनवरी, 2022 हैदराबाद में संपन्न
केंद्रीय कमेटी की बैठक द्वारा स्वीकृत)

0.1 22वीं कांग्रेस के बाद के दौर में, भाजपा की स्थिति और पुख्ता हुई है। सरकार में रहने के चलते वह फासिस्टी आरएसएस के हिंदुत्ववादी एजेंडे पर आक्रामक तरीके से चल रही है। उसने घोर–नवउदारवादी सुधारों को चलाने के जरिए एक बहुमुखी हमला बोला है। इसमें सांप्रदायिक–कारपोरेट गठजोड़ को मजबूत किया जा रहा है, राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को लूटा जा रहा है, दरबारी पूंजीवाद को बढ़ाया जा रहा है, राजनीतिक भ्रष्टाचार को कानूनी बनाया जा रहा है और बाकायदा तानाशाही को थोपा जा रहा है।

0.2 2019 के चुनाव के बाद, भाजपा दोबारा सत्ता में आयी है। एक सांप्रदायिक राष्ट्रवादी उन्मत्त आख्यान गढ़ने के जरिए उसने, पहले से ज्यादा सीटें तथा पहले से ज्यादा मत फीसद लेकर दोबारा, सरकार बनायी। उसके बाद से, घोर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तीखा करते हुए और हमारे धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक संविधान को कमजोर करते हुए, उसने जम्मू–कश्मीर राज्य को भंग किया है तथा संविधान की धारा–370 तथा 35ए को निरस्त किया है; एक संविधानविरोधी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) बनाया है; अयोध्या में मंदिर का निर्माण शुरू किया है; और अत्याचारी निवारक नजरबंदी कानूनों का घोर दुरुपयोग कर के जनता के जनतांत्रिक अधिकारों

तथा नागरिक स्वतंत्रताओं पर निर्ममता से हमले किए हैं। भारतीय सवैधानिक गणराज्य के चरित्र को ही बदलने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं।

0.3 इस दौर में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ मेहनतकश जनता के विभिन्न तबकों का बढ़ता प्रतिरोध भी सामने आया है। मजदूर वर्ग ने आम तथा क्षेत्रवार हड़तालों के जरिए, नयी श्रम संहिताओं तथा निजीकरण की मुहिम के खिलाफ विरोध की आवाज उठायी है। सीएएविरोधी आंदोलन, संविधान तथा नागरिकता के साथ भीतरघात के खिलाफ एक जन-विरोध आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। किसानों का सबसे बड़ा तथा सबसे लंबा संघर्ष, तीन कृषि कानूनों के निरस्त किए जाने के साथ, ऐतिहासिक विजय पर खत्म हुआ है।

0.4 इन चार वर्षों में भाजपा सरकार ने अमरीकी रणनीतिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा मंसूबों के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। वह अमरीकी साम्राज्यवाद की एक पुख्ता अधीनस्थ सहयोगी बनकर सामने आयी है। इसके, अपने पड़ौसी देशों के साथ भारत के रिश्तों के लिए और उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए गंभीर दुष्परिणाम हो रहे हैं। यह महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाविकासों की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिसका भारत के आज के हालात पर सीधे असर पड़ रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति

1.1 21वीं पार्टी कांग्रेस के बाद की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार रही हैं:

1) कोविड-19 का सत्यानाशी विस्फोट और नये वैरिएंटों के उभरने के साथ उसके असर का लगातार जारी रहना।

2) पूंजीवादी और समाजवादी देशों ने जिस तरह से महामारी तथा उससे जुड़े मुद्दों को संभाला है, उनके बीच जमीन-आसमान का अंतर।

3) गहराती वैश्विक आर्थिक मंदी।

4) आर्थिक मंदी का कोई भी समाधान मुहैया कराने में नवउदारवाद का दीवालियापन। उल्टे उसके तहत अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए जो उत्प्रेरण पैकेज तैयार किए गए हैं, वे मुनाफों को अधिकतम करने के नवउदारवादी यात्रा पथ को ही मजबूत करते हैं।

5) वैश्विक अर्थव्ययस्था पर वित्तीय पूंजी की जकड़ और मजबूत हो गयी है।

6) लोगों की जिंदगियों तथा आजीविकाओं पर इसका सत्यानाशी असर, वैश्विक स्तर पर भूख, गरीबी के स्तर, बेरोजगारी तथा शिक्षा से वंचितता में बढ़ोतरी।

7) एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का बढ़ता प्रभाव।

8) चीन की घेरेबंदी करने तथा उसे अकेला करने की अमरीकी साम्राज्यवाद की कोशिशें।

9) दक्षिणपंथ की ओर वैश्विक राजनीतिक झुकाव का जारी रहना और उसके खिलाफ बढ़ता प्रतिरोध।

10) अमरीकी साम्राज्यवादी आक्रामकता के खिलाफ लातीनी अमरीका में बढ़ता प्रतिरोध। चिली, वेनेजुएला, बोलीविया, पेरू तथा होंडुरास में, लोकप्रिय जन संघर्षों के बल पर वामपंथी, प्रगतिशील ताकतों की चुनावों में जीत हुई है।

11) इस अवधि का एक प्रमुख घटनाविकास है, अफगानिस्तान में सामने आते हालात, जहां अमरीकी-नाटो सेनाओं की वापसी के बाद, तालिबान ने सत्ता संभाल ली है।

12) हमारे पड़ौसी देशों के बीच भारत का ज्यादा से ज्यादा अकेला पड़ना। ज्यादातर पड़ौसी देशों के साथ संबंधों का खराब होना।

13) पृथ्वी के गर्म होने से पैदा हो रहे गंभीर खतरे और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई का तत्काल जरूरी हो जाना।

कोविड की सत्यानाशी महामारी

1.2 2019 के दिसंबर में फूटी कोविड-19 महामारी, अब भी दुनिया भर में एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है और कहर ढहाना जारी रखे हुए है। कोरोना वाइरस तेजी से खुद को बदल रहा है और उसके नये-नये वैरिएंट सामने आ रहे हैं। इनमें ताजातरीन है, ओमिक्रॉन जिसकी संक्रमण की दर, दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। कोविड महामारी के आने के बाद से, करीब 30 करोड़ लोग उससे संक्रमित हो चुके हैं और करीब 55 लाख अब तक ही अपनी जान गंवा चुके हैं।

1.3 **वैश्विक टीका असमानता:** जब तक सार्वभौम वैश्विक कार्यक्रम के जरिए टीकाकरण की मुहिम तेज नहीं होती है, महामारी तबाही बरपा करती रहेगी। जब तक सभी वाइरस से सुरक्षित नहीं होंगे, कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। भारी वैश्विक टीका असमानता, इसे होने से रोक रही है। यह टीका असमानता ही वाइरस में बदलावों के जरिए, नये वेरिएंटों के उदय के लिए मौका दे रही है। इसके पीछे एक कारक है, संपन्नतर देशों द्वारा अपनी आबादी की जरूरत से ज्यादा टीकों का जखीरा कर के रखा जाना तथा खपाया जाना। उच्च आय श्रेणी में आने वाले देशों में करीब-करीब 70 फीसद आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है जबकि कम आय वाले देशों में सिर्फ 2.5 फीसद आबादी का ही पूर्ण टीकाकरण हो सका है। उच्च आय वर्ग

के देशों में उनकी आबादी के करीब 150 फीसद के बराबर टीके की खुराकें लग चुकी हैं, जबकि कम आय वाले देशों में आबादी के 7 फीसद के बराबर टीके की खुराकें ही लग पायी हैं। समूचे अफ्रीकी महाद्वीप में वयस्क आबादी के 10 फीसद से भी कम का ही पूर्ण टीकाकरण किया जा सका है। इस टीका असमानता के लिए जिम्मेदार दूसरा कारक है, कुछ उच्च आय श्रेणी के देशों का, टीकों के मामले में अपनी बौद्धिक संपदा व्यवस्था तथा पेटेंट अधिकारों को हटाने से इंकार करना। ये देश इससे, मुख्यत: बड़ी दवा कंपनियों के मुनाफों की हिफाजत करने के लिए जो इंकार कर रहे हैं, उसका नतीजा टीके के ऐसे ऊंचे दाम के रूप में सामने आ रहा है, जो गरीब देशों को ये टीके खरीदने से रोकता है और इन देशों में टीकों के घरेलू उत्पादन को भी रोकता है।

1.4 **अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं:** इस महामारी ने आंखें खोलने वाले तरीके से, पूंजीवाद के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दयनीय रूप से अपर्याप्त होने को उजागर कर दिया है। विकासशील देशों में यह अपर्याप्तता खासतौर पर मुखर है। मुनाफे अधिकतम करने की नवउदारवादी नीतियों के चलते, स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़े पैमाने पर निजीकरण हुआ है और जहां थोड़ी-बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं भी, उनकी उपलब्धता भी राज्य के धन से संचालित स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य बीमा के ही रास्ते से है, जो बीमा कंपनियों के ही पक्ष में काम करता है। निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का खर्चा उठाने में असमर्थता ने, लाखों लोगों के बचने तथा महामारी पर अंकुश लगाने की संभावनाओं को बदतर बना दिया है। टीका असमानता के साथ इसका भी जनता की जिंदगियों पर और खासतौर पर गरीब तथा विकासशील देशों में लोगों की जिंदगियों पर, तबाह करने वाला असर हो रहा है।

1.5 **समाजवादी देश:** अपनी जन-केंद्रित नीतियों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-प्रणालियों के चलते, समाजवादी देशों ने महामारी को जिस तरह से संभाला है, पूंजीवादी देशों से पूरी तरह से भिन्न रहा है। वे पूंजीवाद के मुकाबले कहीं ज्यादा कुशलतापूर्वक महामारी की चुनौती का सामना कर सके हैं और इसने एक बार फिर समाजवाद की श्रेष्ठता को दिखाया है। **चीन** का इस महामारी ने कड़ा इम्तहान लिया था, लेकिन वह इस पर अंकुश लगाने में समर्थ हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था की

बहाली हुई है और आर्थिक गतिविधियों में नयी जान पड़ी है। उसने सौ से ज्यादा देशों को टीके मुहैया कराए हैं। **क्यूबा** ने क्रूर अमरीकी नाकेबंदी के चलते भारी आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे होने तथा बाहर से दवाओं तथा उपकरणों को मंगाने पर रोक के बावजूद, अपने घरेलू टीकों का विकास किया है और दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में अपने मैडिकल मिशन भेजे हैं, जिसमें टीकों की आपूर्ति भी शामिल है। इसी प्रकार, **वियतनाम** पहली लहर में महामारी के फैलाव पर कारगर तरीके से नियंत्रण करने में समर्थ हुआ और उसके बाद आयी डेल्टा की लहर से निपट रहा है।

वैश्विक पूंजीवादी संकट

1.6 2008 के वैश्विक वित्तीय महाझटके से उत्पन्न हुए व्यवस्थागत आर्थिक संकट के बाद से, वैश्विक पूंजीवाद पहले वाले स्तर तक बहाली नहीं कर पाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, महामारी के आने से पहले वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2009 के 5.4 फीसद से लगातार गिरते हुए, 2019 में 2.9 फीसद रह गयी थी। महामारी से जुड़े लॉकडाउनों व उत्पादन बंदी के चलते, 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था में 4.4 फीसद का संकुचन हुआ था। हालांकि, आइएमएफ तथा विश्व बैंक, दोनों ही आने वाले वर्षों में कहीं स्वस्थ्य आर्थिक वृद्धि के अनुमान पेश कर रहे हैं, वे अब भी बनी हुई टीका असमानता जैसी प्रबल विरोधी हवाओं द्वारा किसी बड़ी आर्थिक बहाली को रोके जाने के अंदेशों के बारे में भी आगाह कर रहे हैं। विश्व बैंक इस पर कायम है कि 2022 में विश्व उत्पाद, महामारी से पहले के विश्व उत्पाद के अनुमानों से 2 फीसद नीचे रहेगा।

1.7 **अमरीका, योरपीय यूनियन के उत्प्रेरण पैकेज:** अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के वैश्विक उत्पाद के आशावादी अनुमान बहुत हद तक, अमरीका तथा योरपीय यूनियन में घोषित नये उत्प्रेरण पैकेजों से पैदा हुई आर्थिक बहाली की उम्मीदों पर आधारित हैं। अमरीका ने 19 खरब डालर के पैकेज का एलान किया है, जबकि योरपीय यूनियन में 18 खरब यूरो (22 खरब डालर) के पैकेज पर सहमति बनी है, जिसके लिए सीधे उसके बजट से संसाधन दिए जाएंगे। ये पैकेज मेहनतकश जनता तथा मध्य वर्ग को बहुत सीमित प्रत्यक्ष लाभ ही देते हैं, जबकि बड़े उद्यमियों तथा वित्तीय पूंजी को ही असली उपहार मिला है, जो नवउदारवाद के मुनाफे अधिकतम करने के एजेंडा को ही आगे बढ़ाता है। आइएमएफ का अनुमान है कि महामारी के आने के

बाद से, दुनिया भर में दिया गया राजकोषीय उत्प्रेरण, सभी स्रोतों को मिलाकर, 169 खरब डालर के करीब का बैठता है। इस वैश्विक खर्च में से करीब 86 फीसद को विकसित देशों ने कुहनिया लिया है। इस उत्प्रेरण में से बड़ा हिस्सा वित्तीय व्यवस्था से एडवांसों तथा ऋणों के लिए सुरक्षित किया गया है और बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही प्रत्यक्ष लाभ के रूप में जनता को मिल रहा है। इन पैकेजों के लिए संसाधन जुटाने के लिए, सरकारी बांडों तथा अन्य इंस्ट्रूमेंटों का रास्ता अपनाया गया है, जिन्हें मुख्य रूप से शेयर बाजारों में बेचा जा रहा है। इसने शेयर बाजार को फुला दिया है, जिसने अभूतपूर्व उछाल पैदा किए हैं।

1.8 **बढ़ती असमानताएं:** उत्प्रेरण पैकेजों की वित्त व्यवस्था की प्रकृति ने ही, जिसने शेयर बाजार में उछालों को भड़काया है, अश्लील तरीके से असमानताओं को बढ़ाने में योग दिया है। विश्व के अरबपतियों की कुल संपदा, 2020 की जुलाई में, 102 खरब डालर के नये शिखर पर पहुंच चुकी थी। 10 सबसे धनी लोगों की संपदा में पिछले वर्ष 413 अरब डालर की बढ़ोतरी हुई, जो 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की समूची मानवतावादी अपील के लिए आवश्यक कुल राशि से 11 गुना ज्यादा थी। कोविड के टीके बनाने वाली बड़ी दवा इजारेदारियों ने ही 9 नये वैश्विक अरबपति पैदा किए हैं। संपत्ति के संकेंद्रण ऐसे अश्लील रूप से ऊंचे स्तर, पूंजीवादी शोषण व संचय की प्रकृति में ही निहित हैं। 136 देश, कंपनियों के लिए 15 फीसद का वैश्विक न्यूनतम कर लगाने के लिए सहमत तो हो गए हैं, फिर भी इस पर गंभीर संदेह हैं कि क्या यह कारगर होगा और बड़े कार्पोरेटों तथा अति-धनिकों को, समुचित कर देने से बचने से रोक पाएगा।

1.9 **वैश्विक वित्तीय पूंजी:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के नेतृत्व में चल रहे नवउदारवाद ने आय तथा संपदा की असमानताओं के बढ़ने की प्रक्रिया को पुख्ता कर दिया है। यह मुनाफों को अधिकतम करने के नवउदारवाद के लक्ष्य के पुख्ता होने का संकेतक है। जैसाकि 22वीं कांग्रेस में दर्ज किया गया था, नवउदारवाद ने, खुद अपनी ही नीतियों तथा नुस्खों से पैदा हुए आर्थिक संकट का, कोई भी समाधान मुहैया कराने में अपना दीवालियापन साबित कर दिया है। उल्टे, मुनाफे अधिकतम करने पर उसकी संपूर्ण एकाग्रता, संकट को और बढ़ाने का ही काम कर रही है। बहरहाल, वैश्विक महामारी से उत्पन्न हुए हालात का फायदा उठाकर, वह खुद को

और पुख्ता करने की ही कोशिश कर रहा है। उसने जो उत्प्रेरण पैकेज गढ़े हैं, अमीरों को ही और अमीर कर रहे हैं और सिर्फ अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय पूंजी के शिकंजे को और मजबूत करने के ही हालात नहीं बना रहे हैं बल्कि अनेक देशों में ऐसे राजनीतिक निजाम खड़े करने के भी हालात बना रहे हैं, जो आक्रामक नवउदारवादी नीतियों के पक्षधर होंगे।

जनता की बढ़ती तकलीफ़ें

1.10 महामारी और वैश्विक मंदी ने मिलकर जनता के बहुत बड़े हिस्से पर विनाशकारी प्रभाव डाला है—पूंजीवादी आर्थिक शोषण अधिक तीव्र हुआ है, वैश्विक भूख का स्तर ऊपर गया है, ग़रीबी बढ़ी है, बेरोज़गारी दिन दूनी रात-चौगुनी बढ़ रही है, दुनिया के बच्चों की विराट बहुसंख्या शिक्षा से वंचित हो गई है।

1.11 **बढ़ती भूख** : ऑक्सफैम का आकलन है कि हर मिनट 11 लोग भूख से मर रहे हैं। यूनिसेफ़ का आकलन है कि वैश्विक आबादी का दसवां हिस्सा—लगभग 81.1 करोड़ लोग—कुपोषित हैं, 2020 में 15 करोड़ बच्चे अवरुद्ध विकास वाले यानी गिट्ठे थे और लगभग 4.5 करोड़ बच्चों की असमय मौत हुई। पिछले साल क्रानिक भूख का सामना कर रहे तक़रीबन 18 करोड़ लोगों को मिलाकर वैश्विक आबादी के 30 प्रतिशत यानी 237 करोड़ लोगों को 2020 में पर्याप्त खाना हासिल नहीं था—यह एक साल में 32 करोड़ की बढ़त थी।

1.12 **ग़रीबी** : चरम ग़रीबी में जीते हुए लोगों की संख्या 2021 के अंत तक 74.5 करोड़ होने का अनुमान है जो कि 10 करोड़ की बढ़त है। पूरी दुनिया में महिलाओं के रोज़गार छिनने से उनकी आमदनी में 2020 में कम-से-कम 80, 000 करोड़ डॉलर की कमी आई है। 2021 में दुनिया के पैमाने पर 4.7 करोड़ और महिलाओं के चरम ग़रीबी में पहुंच जाने का अनुमान है।

1.13 **बेरोज़गारी** : वैश्विक बेरोज़गारी 2019 के 18.7 करोड़ से बढ़कर 2022 में 20.5 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। आइएलओ ने 2020 में वैश्विक मंदी से आए जॉब गैप के 7.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। वैश्विक स्तर पर काम के घंटे 2020 में 8.8 प्रतिशत घटे हैं जो कि 25.5 करोड़ कार्य दिवस के नुकसान के बराबर है। महिलाओं के रोज़गार, 2019 के 3.9 प्रतिशत के मुक़ाबले

2020 में 5 प्रतिशत कम हुए। वैश्विक स्तर पर 2020 में युवाओं के रोज़गार में वयस्कों के 3.7 प्रतिशत के मुक़ाबले 8.7 प्रतिशत की कमी आई। रोज़गार और काम के घंटों में यह तीखी गिरावट, कोविड के पहले की बेरोज़गारी, अर्द्ध-बेरोज़गारी के लगातार क़ायम उच्च स्तर और काम के बुरे हालात के ऊपर से आई।

1.14 **तीव्र होता शोषण** : मुनाफ़े को बढ़ाने के नव-उदारवादी झुकाव एक दीर्घ पूंजीवादी संकट के हालात तैयार करते हैं क्योंकि वे कामगार जनता के आर्थिक शोषण को तेज़ करने पर ध्यान देते हैं, जो पलटकर घरेलू मांग को काम कर देता है और इससे वृद्धि नकारात्मक रूप में प्रभावित होती है। 2008 से जारी संकट और मंदी के कारण यूके, इटली, जापान आदि विकसित देशों में वास्तविक वेतन में गिरावट आई। 2008 से लागू किए गए कमखर्ची के उपायों के चलते, श्रम की उत्पादकता (21.8 प्रतिशत) वास्तविक वेतनों (14.3 प्रतिशत) के मुक़ाबले अधिक तेजी से बढ़ी। सामाजिक सुरक्षा को देखा जाए तो 400 करोड़ लोगों में से लगभग 70 प्रतिशत या तो महफूज नहीं हैं या आंशिक तौर पर महफूज हैं। 2019 और 2020 के बीच नौकरियां छिनने की बढ़ती दर के साथ वैश्विक श्रम की आय में 10.7 प्रतिशत की गिरावट आई जो कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। 2021 में हालात और बदतर हुए। इस तरह का तीव्र शोषण, पूंजीवाद के खास चरित्र और लुटेरे स्वभाव में ही निहित है।

1.15 **शिक्षा से वंचना** : यूनेस्को के अनुसार, महामारी के दौरान दुनिया भर के अनुमानत: 90 प्रतिशत बच्चों की शिक्षा बाधित हुई। मई 2021 तक हालात ये थे कि 26 देशों में विद्यालय पूरी तरह से बंद थे और 55 अन्य देशों में आंशिक रूप से बंद थे। बच्चे काम करने लगे हैं, शिक्षा से उनका मोहभंग हो गया है, अपने देश के क़ानून के हिसाब से मिलनेवाली नि:शुल्क या काम फीस वाली शिक्षा से वे बाहर हो गए हैं, और इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि लाखों विद्यार्थियों के लिए यह, शिक्षा में कोई अस्थायी बाधा नहीं बल्कि उसका औचक अंत है। महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षा में 'डिजिटल डिवाइड' को भी सामने ला दिया है।

दक्षिणपंथ की ओर राजनीतिक झुकाव

1.16 21 वीं पार्टी कांग्रेस से ही हमने वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रियावादी ताक़तों

और आंदोलनों के उभार पर ग़ौर किया। 22 वीं पार्टी कांग्रेस में हमने वैश्विक स्तर पर दक्षिणपंथ की ओर राजनीति के और खिसकने को रेखांकित किया। आज, महामारी और उससे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों के असर के तहत अधिक गहराते आर्थिक संकट के हालात में, दक्षिणपंथ की ओर खिसकने का यह रुझान जारी है।

1.17 22 वीं पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया था: 'तीव्र वैश्विक आर्थिक संकट के समय में एक राजनीतिक लड़ाई इस चीज को लेकर सामने आती है कि बढ़ते हुए जन-असंतोष को कौन नेतृत्व देगा। राजनीतिक दक्षिणपंथ जन-असंतोष को गोलबंद करके आगे बढ़ता है और यह सुनिश्चित करता है कि वाम और अन्य प्रगतिशील ताक़तें, एक प्रमुख वैकल्पिक राजनीतिक ताक़त के तौर पर न उभर आयें।' (अनुच्छेद 1.14)

1.18 दक्षिणपंथी ताक़तें भावनात्मक जुनून को भड़काते हुए, विभाजनकारी नारे उछलते हुए और नस्लवाद, अंधराष्ट्रवाद, धार्मिक संकीर्णता, बुनियादपरस्ती आदि को बढ़ावा देते हुए, कामगार जनता के संगठित एकजुट विरोध-मुहिम को सशक्त होने से रोकने की कोशिश करती हैं। इनके जरिए वे बढ़ते शोषण के खिलाफ़ जनता की एकता को ध्वस्त करना चाहती हैं।

1.19 **प्रतिकार के रुझान** : लेकिन, दक्षिणपंथ की ओर राजनीतिक खिसकाव का मुकाबला करनेवाले प्रतिकारी रुझान भी बढ़ रहे हैं। लैटिन अमरीकी देशों, जैसे बोलीविया, वेनेजुएला, निकारागुआ, पेरू और चिली में इसे साफ़ देखा जा सकता है। 'द ब्लैक लाइव्स मैटर' मुहिम ने भी अमरीका में ट्रम्प की हार में योगदान किया। आज के पांच स्कैन्डेनेवियन देशों में 1959 के बाद से सभी सरकारें या तो सोशल डेमोक्रेटिक रही हैं या सेंटर-लेफ्ट।

बढ़ते विरोध प्रदर्शन

1.20 22 वीं कांग्रेस के बाद की अवधि में महामारी से पहले के आर्थिक संकट, उसके परिणामस्वरूप लागू कमखर्ची के उपायों, शोषण में आई तीव्रता के खिलाफ़ और महामारी के दौरान थोपी गई विपदाओं, तालाबंदी और जनकल्याण के नाकाफी प्रावधानों के खिलाफ़ प्रतिरोध बढ़ता गया है। महामारी के बावजूद, दुनिया के कई हिस्सों में हड़तालें और विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस तरह के विरोध प्रदर्शन लैटिन

अमरीका में सबसे अधिक मुखर थे जहां अर्जेन्टीना, ब्राजील, कोलम्बिया, चिली, इक्वाडोर, मेक्सिको और उरुग्वे आदि मुल्कों में, कामगार जनता ने हड़तालें और बड़े प्रदर्शन आयोजित किए।

1.21 यूरोप में कई तरह के औद्योगिक कामगार और सेवा क्षेत्र में काम करनेवाले डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक आदि, हड़ताल पर गए। अमेज़ोन के कर्मचारियों ने कई देशों में काम बंद किया, बावजूद इसके कि निगम ने यूनियनों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इन विरोध कार्रवाइयों में काम के बेहतर हालात, बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा उपायों की मांग की गई जो, कमखर्ची के उपायों के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए थे। साथ ही, महामारी के खिलाफ़ समुचित सुरक्षा की भी मांग की गई। फ्रांस में श्रम क़ानून में सुधार के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन हुए और बढ़े हुए टैक्स के बोझ के खिलाफ़ 'येलो वेस्ट्स' की जुझारू कार्रवाइयां हुईं। कई अन्य देशों में श्रम क़ानूनों में किए जा रहे बदलाव, वेतन तथा पेंशन में कटौती और काम के बढ़े हुए घंटों के खिलाफ़ कामगार विरोध मुहिम चला रहे हैं। कामगारों के संघर्ष ने पुर्तगाल जैसे देशों को 'घर से काम' की परिस्थितियों पर क़ानून लाने के लिए बाध्य किया। ग्रीस में बड़ी हड़तालें हुईं। यह एक अहम विशेषता है कि कामगार जनता के इन संघर्षों को किसानों, महिलाओं, हरित कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और युवाओं ने सक्रिय समर्थन और सहयोग दिया। कई देशों में इस तरह की विरोध मुहिम की ताक़त ने, प्रगतिशील और ग़ैर-दक्षिणपंथी ताक़तों का पक्ष लेते हुए चुनावों को भी प्रभावित किया।

चीन का वैश्विक उत्थान

1.22 चीन ने महामारी की रोक-थाम करने और अपनी अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने में प्रभावकारी तरीक़े से काम किया। इसने विश्व के दूसरे सबसे बड़े आर्थिक पावर हाउस होने की अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया है। जुलाई 2021 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के दौरान यह घोषणा की गई कि इसने अपने दो शताब्दिक लक्ष्यों में से एक को हासिल कर लिया है: वह है 2020 तक एक ठीक-ठाक समृद्ध समाज की स्थापना, जिसके पास एक स्वस्थ जीडीपी वृद्धि दर हो और जनता की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन-स्तर में बेहतरी हो।

1.23 फरवरी 2021 में चीन ने आधिकारिक रूप से अपने देश में शुद्ध दरिद्रता के खात्मे की घोषणा की। विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय ग़रीबी रैंकिंग्स के अनुसार, चीन वैश्विक ग़रीबी में आई 70 प्रतिशत कमी के लिए उत्तरदायी है। 2021 की पहली तीन तिमाहियों में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 9.89 प्रतिशत रही जबकि उसका सालाना लक्ष्य 6 प्रतिशत है। 2006 के बाद से हर वर्ष, औसतन, दुनिया की आर्थिक वृद्धि का 30 फीसद से ज़्यादा चीन के खाते से आया है।

1.24 **अमरीका-चीन टकराव :** चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव से अमरीका के कान खड़े हो गए हैं क्योंकि वह उसे अपने वैश्विक वर्चस्व के लिए एक खतरा लगता है। एक आर्थिक ताकत के रूप में चीन की निरंतर बढ़त और महामारी का इसके द्वारा किया गया असरदार मुकाबला और अपनी अर्थव्यवस्था को दुबारा खोलना, अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा ऐसे खतरे के रूप में देखा जा रहा है, जो अमरीका के वैश्विक प्रभुत्व के लिए चुनौती है। अमरीका ने चीन को एक रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी का दर्जा देते हुए उसे रोकने के लिए ही नहीं बल्कि अलग-थलग करने के लिए, उपायों की एक शृंखला की शुरुआत की है। उसने चीन की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए, आर्थिक और व्यापारिक उपायों की पहल की है: हांग कांग के विरोध प्रदर्शनों के हवाले से लोकतंत्र के मुद्दे उठाना; ज़िनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे उठाना; अमरीका 'वन चाइना पॉलिसी' को नाकाम करने के लिए ताइवान को सैन्य मदद दे रहा है; वह दक्षिण चीन सागर में अबाध पहुंच बनाने के कोशिश में है और चीन पर साइबर युद्ध छेड़ने के आरोप लगा रहा है।

1.25 एक सैन्य और रणनीतिक गठबंधन के रूप में क्वाड (अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया) के गठन के बाद अमरीका ने अब एयूकेयूएस (ऑस्ट्रेलिया-यूके-यूएस) के नाम से हिन्द-प्रशांत महासागर, खासकर हिन्द महासागर में चीन के प्रभाव और उपस्थिति को कम करने के लिए, एक नए सुरक्षा गठजोड़ की शुरूआत की है। इन देशों की संयुक्त सैन्य उपस्थिति, संयुक्त सैन्य अभ्यासों और बहुतेरे वॉर गेम्स के साथ अमरीकी साम्राज्यवाद, चीन को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है।

1.26 बाइडेन प्रशासन के तहत अमरीका ट्रम्प प्रशासन द्वारा चीन पर थोपे गए प्रतिबंधों को जारी रखे हुए है। नतीजे के तौर पर, चीन से अमरीका में वस्तुओं के

आयात और दुतरफा सेवा व्यापार में, 2018 और 2020 के बीच गिरावट आई है। अलबत्ता, 2020 में चीन 659.5 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ अमरीका का सबसे बड़ा व्यापात साझीदार था। निवेश और क़र्ज़ के आपसी गुंथाव के चलते अमरीका चीन से होनेवाले व्यापार को खत्म नहीं कर सकता। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक नवाचारों में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए अमरीका इस क्षेत्र में चीन के विस्तार को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, और 5 जी नेटवर्क्स में चीन की सहभागिता को खत्म करने जैसे कदम उठा रहा है।

1.27 चीन को अलग-थलग करने के वैश्विक प्रयास में अमरीका जी 7, ईयू और नाटो के मित्रों को गोलबंद कर रहा है। चीन के बेल्ट एण्ड रोड इनीशिएटिव—जो एक वृहत वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चरल ट्रेड रूट है जिसमें 150 से ज़्यादा देश शामिल हुए हैं—का प्रतिकार करने के लिए अमरीका ने जी 7 को एक प्रति योजना, 'बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड', की घोषणा करने के लिए तैयार किया। नाटो के सम्मेलन में अमरीका के प्रभाव से, चीन को एक सुरक्षा खतरा बतानेवाला वक्तव्य जारी हुआ। यूरोपियन यूनियन ने जहां चीन में मानवाधिकारों और चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के सवाल पर अमरीका, कनाडा और ब्रिटेन का अनुसरण किया, वहीं आर्थिक और वाणिज्यिक मुद्दों पर पूरी तरह अमरीका के साथ जाने के मामले में, वह एकमत नहीं है। जर्मनी, फ्रांस और इटली अपना संबंध चीन से तोड़ने के लिए राज़ी नहीं हैं। ईयू द्वारा थोपे गए मानवाधिकार प्रतिबंधों के जवाब में चीन ने, ईयू के कुछ संस्थानों और व्यक्तियों पर जो प्रतिबंध लगाए, उन्होंने ईयू बिजनस काउन्सिल को सचेत कर दिया है। अमरीका-रूस शिखर बैठक के मौक़े पर रूस और चीन के बीच उनकी रणनीतिक साझीदारी में गड़बड़ी पैदा करने की अमरीका की कोशिशें नाकाम रहीं।

1.28 अमरीका-चीन के टकराव का साम्राज्यवाद और समाजवाद के केन्द्रीय अंतर्विरोध पर प्रभाव पड़ेगा।

चीन और रूस की साझेदारी

1.29 चीन और रूस के बीच रणनीतिक साझीदारी हाल के वर्षों में गहरी और मज़बूत हुई है। दिसम्बर 2021 में शी जिनपिंग और पूतिन की आभासी बैठक ऐसे मौक़े पर हुई जब यूक्रेन के मुद्दे पर अमरीका-नाटो और रूस के बीच तनाव बढ़े हुए

थे और चीन को अलग-थलग करने के लिए एशिया-पेसिफिक क्षेत्र में अमरीका जोर लगा रहा था। नवंबर 2021 में रूस और चीन के रक्षा मंत्रियों ने, 2021-25 की अवधि के लिए नजदीकी सैन्य सहकार की योजना पर दस्तखत किए। चीन और रूस के बीच रणनीतिक गठबंधन अमरीका-नीत वर्चस्वशाली गठजोड़ की रणनीतिक प्रतिशक्ति का काम करेगा।

यूक्रेन में टकराव

1.30 यूक्रेन रूस और पश्चिमी गठबंधन, नाटो के बीच एक उत्तेजना बिन्दु बन गया है। सोवियत यूनियन के पतन के बाद से पश्चिम, नाटो के पूरब की ओर विस्तार का प्रयास करता रहा है। सभी पूर्वी-यूरोपियन राज्य अब ईयू और नाटो के हिस्से हैं। रूस सोवियत यूनियन के एक भूतपूर्व गणराज्य, यूक्रेन के नाटो के दायरे में आने का पुरज़ोर विरोध करता आया है। क्रीमिया के क़ब्ज़े और पश्चिमी यूक्रेन के दोनबास क्षेत्र में टकराव इसी तकरार का नतीजा था। यूक्रेन से जुड़ी सीमा पर रूसी टुकड़ियों की तैनाती यूक्रेन के साथ नाटो के संबंधों को मज़बूत करने के नए सिरे से जारी प्रयासों का ही नतीजा है। जी 7 और यूरोपियन यूनियन रूस के खिलाफ़ कठोर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं अगर वह यूक्रेन के खिलाफ़ सैन्य कार्यवाही करता है, जबकि रूस ने पश्चिमी गठबंधन में यूक्रेन को शामिल करने के प्रयासों पर 'रेड लाइंस' खींच दी हैं।

दुनिया के प्रमुख सामाजिक अंतर्विरोध

1.31 चीन-अमरीका के बढ़े टकराव और क्यूबा तथा डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया के प्रति अमरीकी साम्राज्यवाद का लगातार बना हुआआक्रामक रुख, साम्राज्यवाद और समाजवाद के बीच के केन्द्रीय अंतर्विरोध को तीव्र करनेवाला है।

1.32 अंतर-साम्राज्यवादी अंतर्विरोधों के दायरे में, हमने 22 वीं कांग्रेस में यह ग़ौर किया था कि साम्राज्यवादी गठबंधन की संसक्ति/एकजुटता मुख्यत: ट्रम्प प्रशासन की नीतियों के कारण नकारात्मक रूप में प्रभावित हुई थी। हालांकि बाइडेन प्रशासन द्वारा यूरोपीय और नाटो मित्रों को रूस और चीन के खिलाफ़ गोलबंद करने की ज़ोरदार कोशिशें हुई हैं, पर उनके बीच के मतभेद क़ायम हैं।

1.33 लातीनी अमरीका, पश्चिम एशिया और अफ़्रीका में अमरीकी साम्राज्यवाद के आक्रामक हस्तक्षेप के कारण भी साम्राज्यवाद और विकासशील देशों के बीच के अंतर्विरोध बढ़ रहे हैं। विकासशील देशों का क़र्ज़ का बोझ वहन करने लायक़ नहीं रह गया है और अमीर मुल्क ग्लोबल वार्मिंग की ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी लेने से तथा जलवायु को अनुकूलित करने के उपायों के वित्तपोषण से, इनकार कर रहे हैं।

1.34 श्रम और पूंजी के बीच का पूंजीवाद का बुनियादी अंतर्विरोध अधिक तीखा हुआ है। ऐसा मज़दूर वर्ग और कामगार जनता के अधिकारों पर अधिक हमले होने, साथ ही, कमखर्ची के उपायों, रोज़गार छिनने और नयी प्रौद्योगिकी के द्वारा श्रम के विस्थापन के कारण हो रहा है। इन हमलों के खिलाफ़ मज़दूर वर्ग का प्रतिरोध भी बढ़ा है।

अमरीकी साम्राज्यवाद की आक्रामकता

1.35 दुनिया के अनेक हिस्सों में अमरीकी साम्राज्यवाद, अपने वैश्विक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आक्रामक हस्तक्षेप जारी रखे हुए है। 2020 में अमरीकी सैन्य खर्च अनुमानत: 778 अरब डॉलर तक पहुंच गया जो कि 2019 के मुक़ाबले 4.4 प्रतिशत की बढ़त है; यह अमरीका के सैन्य खर्च में बढ़त का लगातार तीसरा साल था। लेकिन अनेक हिस्सों में साम्राज्यवाद-समर्थित सरकारों के खिलाफ़ प्रतिरोध भी बढ़ रहा है और अमरीकी साम्राज्यवाद के वर्चस्व को चुनौती दी जा रही है।

लातीनी अमरीका

1.36 22 वीं कांग्रेस के बाद की अवधि में लातीनी अमरीका एक दक्षिणपंथी प्रति-प्रहार का साक्षी रहा है। ब्राजील में एक धुर-दक्षिणपंथी उम्मीदवार जेर बॉल्सोनारो ने 2018 में राष्ट्रपति का चुनाव जीता और एक दक्षिणपंथी सर्वाधिकारवादी निज़ाम क़ायम करने की शुरूआत की। बोलीविया में 2019 के चुनावों के बाद, जिसमें एमएएस के इवो मोरालेस की जीत हुई थी, अमरीका की शह पर एक तख्ता-पलट हुआ। होण्डुरास में अमरीका ने यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया कि बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली के आरोपों के बावजूद, पिछला राष्ट्रपति दुबारा कुर्सी पर क़ाबिज़ हो। वेनेजुएला में अमरीका-समर्थित दक्षिणपंथी ताक़तें निकोलस मडुरो की

सरकार को गिराने के गंभीर प्रयास करती आई हैं।

1.37 इनके विपरीत, लोकप्रिय और वाम शक्तियां सर्वाधिकारवाद और दक्षिणपंथी आर्थिक नीतियों के खिलाफ़ अथक संघर्ष चलाती रही हैं। इसने वाम को अपनी ज़मीन दुबारा हासिल करने और आगे बढ़ने का मौक़ा दिया है। अर्जेन्टीना में 2019 में पिछला दक्षिणपंथी राष्ट्रपति, एक पेरोनिस्ट उम्मीदवार के हाथों पराजित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जवाबी संघर्ष बोलीविया में हुआ जहां अक्टूबर 2020 में एमएएस उम्मीदवार ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में ज़बरदस्त जीत हासिल की और नई सरकार ने पिछली सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों को वापस ले लिया है। उसके बाद से पेरू और होण्डुरास में (दोनों देश जिनका सर्वाधिकारवादी शासन और तख्तापलटों का इतिहास रहा है) लेफ्ट और सेंटर-लेफ्ट उम्मीदवारों की जीत हुई है।

1.38 दिसम्बर 2021 में चिली के राष्ट्रपति चुनाव में वाम गठबंधन के उम्मीदवार गैब्रिएल बोरिक की जीत बहुत अहम है, जो संविधान को बदलने के कामयाब आंदोलन और वाम-जनवादी शक्तियों के प्रभुत्व वाली संविधान सभा के चुनाव के बाद मिली है। इन प्रगतिशील नतीजों का एकमात्र अपवाद इक्वाडोर था जहां दक्षिणपंथ को राष्ट्रपति पद पर जीत मिली।

1.39 ब्राजील में बॉल्सोनारो का विनाशकारी निज़ाम बढ़ते हुए जन-विरोधों का सामना कर रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों से भूतपूर्व राष्ट्रपति लूला के बेदाग साबित हो जाने के साथ, 2022 के राष्ट्रपति चुनावों में बॉल्सोनारो को लूला की ओर से तगड़ी चुनौती मिलेगी। लूला की कामयाबी अमरीका-समर्थित दक्षिणपंथी शक्तियों के खिलाफ़ चल रहे संघर्ष पर ज़बरदस्त प्रभाव डालेगी। कोलम्बिया में, जो लंबे समय से अमरीका-समर्थित दक्षिणपंथी ताक़तों का गढ़ रहा है, वाम नेतृत्व में बड़ी मज़दूर वर्गीय कार्यवाहियां चल रही हैं, जो 2022 के राष्ट्रपति चुनावों में एक बड़ी चुनौती बनेंगी।

1.40 वेनेजुएला में अमरीका और दक्षिणपंथी शक्तियों द्वारा मडुरो सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रतिबंधों, विदेश में स्थित संपदाओं के अधिग्रहण, हथियारबंद समूहों को दिए जा रहे बढ़ावे और सामाजिक तथा आर्थिक अशांति पैदा करने के प्रयासों के ज़रिये, जो हाइब्रिड युद्ध छेड़ा गया है, उसका पुरजोर तरीक़े से प्रतिरोध हो

रहा है। खाने, ईंधन और अति-आवश्यक वस्तुओं की भयानक कमी के बावजूद, लोकप्रिय शक्तियां एकजुट रही हैं और उन्होंने अशांति फैलाने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया है। नवंबर 2021 में हुए प्रांतीय चुनावों में, सत्तारूढ़ यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ने 23 में से 19 गवर्नर पद जीते हैं।

पश्चिम एशिया

1.41 पश्चिम एशिया का ग़ौरतलब पक्ष है, फिलिस्तीनियों के प्रति और ईरान के प्रति इस्राइल का आक्रामक रुख। ट्रम्प प्रशासन द्वारा यरूशलम को इस्राइल की राजधानी की मान्यता दिए जाने और वेस्ट बैंक में स्थापित अवैध बस्तियों को स्वीकृति दिए जाने से प्रोत्साहित इस्राइल ने, नेतन्याहू के नेतृत्व में पूर्वी यरूशलम और अल-अक्सा मस्जिद में नए सिरे से उकसावे की कार्रवाई की। गाज़ा पट्टी के खिलाफ़ भी आक्रामकता दिखाई गई। इस्राइल के साथ चार अरब देशों—यूएई, मोरक्को, बहरीन और सूडान—के राजनयिक संबंध स्थापित करवाकर अमरीका ने, इस्राइल के लिए एक और राजनयिक कामयाबी की जमीन तैयार की है।

1.42 ट्रम्प द्वारा एकतरफा ढंग से न्यूक्लियर समझौते के खत्म किए जाने के बाद, ईरान पर अमरीका ने नए सिरे से प्रतिबंध थोप दिए। बाइडेन के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद न्यूक्लियर समझौते को दुबारा अमल में लाने की वार्ता चल रही है, पर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इसका कारण है, अमरीका द्वारा पहले प्रतिबंधों को वापस लेने में आगा-पीछा करना। ईरान अपने नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के शासन में गंभीर आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। उसने चीन के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए 25 साल का रणनीतिक समझौता किया है।

1.43 पश्चिम एशिया पिछले दो दशकों में सबसे खराब क़िस्म की साम्राज्यवादी आक्रामकता और क़ब्ज़े का साक्षी रहा है। पहले इराक, फिर लीबिया और सीरिया। अमरीकी टुकड़ियों की वापसी के बाद, इराक़ अभी भी संकीर्णतावादी झड़पों और अल कायदा तथा आइसिस के खिलाफ़ लंबे संघर्ष के बीच, स्थिरता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सालों के गृहयुद्ध के बाद लीबिया शांति स्थापित करने और प्रतिद्वंद्वी हथियारबंद शक्तियों को मिलाकर एक एकजुट राज्य बनाने की, अनिश्चित कोशिशों में लगा हुआ है। सीरिया में, शासन-बदल के प्रयासों की असफलता और

सात साल के विनाशकारी गृहयुद्ध के बाद, असद सरकार ने अपनी पकड़ को मज़बूत किया है और अब सिर्फ़ एक इलाक़ा, सीमावर्ती तुर्की, उग्रवादी विद्रोहियों के पास रह गया है।

1.44 ये तीनों देश और इस क्षेत्र के अन्य देश, गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं जिनमें से लेबनान तो आर्थिक स्तर पर छिन्न-भिन्न ही हो चला है।

अफ्रीका

1.45 अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सक्रिय सशस्त्र इस्लामी उग्रवादी समूहों से लड़ने और अफ्रीकी महाद्वीप में व्यापक चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के नाम पर, अमरीका ने अफरीकॉम के जरिए अपनी सैन्य पहलकदमी को बढ़ाया है। पश्चिम के सहेलियन क्षेत्र और पूर्व के हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका में स्थित 15 देशों में, 29 ठिकानों पर सैन्य अड्डे और स्पेशल फोर्सेज़ हैं। ये उन फ्रांसीसी टुकड़ियों के अलावा हैं जो पश्चिम अफ्रीका के विभिन्न देशों में तैनात हैं।

समाजवादी देश—अमरीकी साम्राज्यवाद की शत्रुतापूर्ण चालें

1.46 महामारी के संकट को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करते हुए अमरीकी साम्राज्यवाद, समाजवादी क्यूबा को अस्थिर करने की कोशिश में है। छह दशक पुरानी आर्थिक नाकेबंदी को उसने और कसा है। दुनिया में जो भी देश क्यूबा के साथ आर्थिक संबंध रखे, उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देते हुए अमरीका ने, क्यूबा की जनता के कुछ हिस्सों को कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवाद के खिलाफ़ बग़ावत करने के लिए भड़काया। अमरीकी नाकेबंदी के कारण क्यूबा में जो आर्थिक मुश्किलें सामने आयी हैं, उन्हें अमरीका प्रतिक्रांतिकारी ताक़तों का इस्तेमाल करके भुनाना चाहता है। लेकिन ये प्रयास विफल रहे हैं। क्यूबा और डीपीआरके, एक बार फिर अमरीका द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित करनेवाले राज्य की श्रेणी में डाल दिए गए हैं। अमरीका, न्यूक्लियराइज्ड कोरियाई प्रायद्वीप में भड़काऊ सैन्य अभ्यास जारी रखे हुए है। अमरीका और डीपीआरके की वार्ता नाकाम हो गई है क्योंकि अमरीका, डीपीआरके पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने को राज़ी नहीं है।

दक्षिण एशियाई देश

1.47 इस क्षेत्र में वैश्विक निहितार्थों वाला सबसे अहम घटना-विकास है, अफगानिस्तान से अमरीकी बलों की वापसी, जिसके साथ 20 साला युद्ध समाप्त हुआ। यह अमरीकी साम्राज्यवाद के लिए एक धक्का है। अमरीका-नाटो बलों की वापसी के कारण, अगस्त 2021 में अशरफ गनी की सरकार ढह गई और तालिबान ने सत्ता पर क़ब्ज़ा कर लिया। तालिबान सरकार के गठन ने, इसके पिछले शासनकाल के अनुभवों को देखते हुए, गंभीर चिंताओं को जन्म दिया है। रूस, चीन, ईरान और मध्य एशिया के देश, जो अफगानिस्तान के साथ सरहदें साझा करते हैं, उनके तालिबान के साथ अलग-अलग स्तर के संबंध रहे हैं। पाकिस्तान, जो तालिबान का हमेशा से समर्थक रहा है, अब तालिबान शासन के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनवाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। भारत, जो अफगानिस्तान में चल रहे इन घटना-विकासों से अलग-थलग रहा है, अब मानवीय मदद मुहैया कराने के जरिए, उस देश के साथ दुबारा जुड़ने के रास्ते तलाश रहा है।

1.48 दक्षिण एशिया के घटना-विकासों में भारत का अलगाव उस समय भी सामने आया जब 8 सार्क सदस्यों में से 5—अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपल, पाकिस्तान और श्रीलंका—ने चीन की पहल पर शुरू किए गए साउथ एशिया फोरम से अपने को जोड़ा। 2014 से सार्क की कोई शिखर बैठक नहीं हुई है। भारत ने 2016 में होनेवाले सार्क शिखर सम्मेलन में भागीदारी से इनकार कर दिया था। यह माना जा रहा है कि सार्क को पुनरुज्जीवित करने में भारत की दिलचस्पी नहीं है और उसकी ज़्यादा दिलचस्पी बंगाल की खाड़ी के किनारे साझा करनेवाले सात देशों को मिलाकर बने बिम्सटेक में है।

भारत के पड़ोसी

1.49 दक्षिण एशिया के देशों में सर्वाधिकारवाद का उदय और सांप्रदायिकता तथा बुनियादपरस्ती का और अधिक विकास 22 वीं कांग्रेस के बाद की अवधि में एक खास बात रही है।

1.50 **बांग्लादेश :** हाल के वर्षों में, बांग्लादेश का आर्थिक प्रदर्शन और जीडीपी वृद्धि दर, दक्षिण एशिया के अन्य देशों के मुक़ाबले बेहतर रहे हैं। उसके मानव विकास सूचकांक में काफी बेहतरी आई है और यह भारत से आगे है। हाल में दुर्गा

पूजा के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले इस बात का संकेत हैं कि किस तरह बुनियादपरस्त ताक़तें, वहां मुश्किलें पैदा करने में लगी हुई हैं।

1.51 **पाकिस्तान :** बुरे आर्थिक हालात के कारण इमरान खान की सरकार को जन-असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। महामारी ने संकट को और गहरा कर दिया है। खाद्य-पदार्थों की ऊंची क़ीमत (2021 के पहले नौ महीनों में औसतन 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी) और बेरोज़गारी, जनता के मोहभंग के स्रोत हैं। प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के निकट संबंधों में भी तनाव आया है। सरहदी क़बाइली इलाक़ों के पाकिस्तानी तालिबान द्वारा किए जानेवाले आतंकवादी हमलों से देश आक्रांत है। उग्रवादी इस्लामी तहरीक-ए-लब्बाइक, ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शित करने और सरकार को अपनी मांगों के आगे झुकने पर मजबूर करने में सक्षम है। उग्रवादी समूहों की गतिविधियों का निशाना भारत है। हालांकि पाकिस्तान खुद बुनियादपरस्ती और आतंकवाद के दुष्चक्र से पीड़ित है, पर उसके अधिकारीगण उन उग्रवादी संगठनों को शरण देना जारी रखे हुए हैं जो भारत के खिलाफ़ हमले करते हैं। सेना की बढ़ी-चढ़ी भूमिका वहां लोकतान्त्रिक व्यवस्था को सीमित कर रही है और सर्वाधिकारवाद का पोषण कर रही है।

1.52 **श्रीलंका :** नवंबर 2020 के संसदीय चुनावों में महिंद्रा राजपक्षा के नेतृत्व वाली श्रीलंका पीपल्स फ्रीडम अलाइन्स की ज़बरदस्त जीत ने राजपक्षा परिवार की पकड़ को सुदृढ़ किया है। इस परिवार के चारों भाई, उच्च शासकीय पदों पर हैं। राजपक्षा के अधीन एक सर्वाधिकारवादी निज़ाम क़ायम किया गया है जिसमें सैन्य अधिकारियों को सरकार में जगह दी गई है। यह निज़ाम सिंहल-बौद्ध राष्ट्रवाद पर भरोसा करता है, जिसका रुख तमिल और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति शत्रुतापूर्ण है। राजपक्षा शासन की आर्थिक नीतियों के कारण आर्थिक संकट पैदा हुआ है और कृषि उत्पादों में भयंकर कमी आई है तथा विदेशी मुद्रा का भी गंभीर संकट है। खाने की कमी और मुद्रास्फीति ने आम जनता के जीवन के हालत को बुरी तरह प्रभावित किया है।

1.53 गृहयुद्ध के दौरान हुए युद्ध-अपराधों की स्वतंत्र जांच कराने से सरकार ने इनकार कर दिया है। उसने उत्तरी और पूर्वी प्रांतों को सत्ता/ अधिकार हस्तांतरण करने के उपायों को अमल में लाने का कोई संकेत नहीं दिया है। भारत सरकार को इसके लिए प्रयास जारी रखना चाहिए कि श्रीलंकाई संविधान की धारा 13 ए को पूरी

तरह अमल में लाया जाए।

1.54 **नेपाल :** दो कम्युनिस्ट पार्टियों—कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल (यूनीफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल (माओइस्ट सेंटर)—ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी)। एनसीपी ने 2019 के संसदीय चुनावों में भारी जीत हासिल की और सरकार बनाई। लेकिन जल्दी ही सरकार, पार्टी के भीतर के गुट-संघर्ष से प्रभावित हुई। प्रधानमंत्री के पी ओली के नेतृत्व वाला गुट अल्पसंख्यक हो गया और जब एनसीपी सांसदों के एक हिस्से ने समर्थन वापस ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद के भंग किए जाने को असंवैधानिक ठहराने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तब एक दूसरी सरकार नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता शेर बहादुर देबूआ के नेतृत्व में, सीपीएन-यूएमएल गुट से जुड़े सदस्यों के समर्थन से, गठित की गई।

1.55 एनसीपी का बंटवारा और ओली सरकार का पतन, नेपाल में वाम आंदोलन के लिए एक धक्का है। इसने दक्षिणपंथी शक्तियों के हस्तक्षेप के लिए राह हमवार कर दी है और धर्म तथा राजनीति को मिलाने वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो लोकतान्त्रिक रूप से पारित नेपाली संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के लिए बहुत खतरनाक है।

1.56 **म्यांमार:** फरवरी 2021 में बर्बर सैनिक तख्तापलट के द्वारा चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को गिराए जाने के बाद, देश भर में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। सैनिक शासन ने बर्बर दमन का सहारा लिया और सैकड़ों शांतिपूर्ण आंदोलनकारी मार डाले गए। सैकड़ों और लोग जेल में डाल दिए गए। आंग सान सू ची को एक झूठे मुकदमे में फंसा कर दो साल के लिए जेल में डाल दिया गया है, जो कि उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने के अयोग्य बनाने की स्पष्ट चाल है।

1.57 सेना के ऊंचे पदाधिकारियों ने आश्रय और व्यापारिक हितों का एक ताक़तवर नेटवर्क बना लिया है और अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए वे राज्य पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। धार्मिक और एथनिक समूह, बहुसंख्यक बौद्ध आबादी के हितों को बढ़ावा देते हैं। रोहिंग्याओं के क़त्लेआम के कारण, बड़े पैमाने पर भारत समेत अनेक पड़ोसी देशों में वहां से प्रवासन हुआ है।

1.58 भयंकर दमन का सामना करते हुए कुछ युवा आंदोलनकारियों ने देश के उत्तरी भाग में बाग़ी एथनिक समूहों की शरण ली है और वे हथियारबंद ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी तक एएसईएएन और यूनाइटेड नेशन्स को मिलिटरी जुन्टा से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल नहीं हुई है। म्यांमार की जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करना इस समय महत्वपूर्ण है। वे लोकतंत्र की बहाली और सैनिक शासन के खात्मे के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन के खतरे

1.59 22वीं कांग्रेस के बाद की अवधि में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में काफी तेज़ी आई है। जलवायु परिवर्तन एक वर्गीय मुद्दा है क्योंकि पूंजीवाद द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की अनियंत्रित लूट ही है जिसने मौजूदा भयावह हालात पैदा किए हैं। अगस्त 2021 में जारी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की ताज़ा (छठी) रिपोर्ट में पहली बार यह कहा गया है कि जलवायु संकट को पैदा करनेवाले वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैस कन्सेन्ट्रेशन का 'एकमात्र कारण मानवीय गतिविधियां' हैं। रिपोर्ट कहती है कि भूमंडलीय औसत तापमान औद्योगिक युग के मुक़ाबले लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक हो चुका है। लिहाज़ा, ग्लासगो में हुए सीओपी 26 में तय किए गए 1.5 डिग्री सेल्सियस के भूमंडलीय लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। इस तरह दुनिया भयावह रूप से उच्चतर तापमान बढ़त के करीब पहुंचती लग रही है।

1.60 ग्लोबल वार्मिंग के मौजूदा स्तर पर भी इस साल पूरी दुनिया ऐसे जलवायु प्रभावों की साक्षी रही जो अपनी प्रचंडता और स्तर के लिए जाने गए। यह खासकर उत्तरी गोलार्द्ध में देखा गया और इससे पता चला कि 1.5 सेल्सियस या 2 सेल्सियस की तापमान बढ़त कितनी भयावह हो सकती है। 2021 के गर्मी के मौसम में अतिवादी मौसमी रुझान उस यूरोप और उत्तरी अमरीका के लिए एक तगड़े झटके की तरह आए, जो आम तौर पर जलवायु संबंधी प्रभावों को मुख्यत: उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित विकासशील राष्ट्रों पर असर करनेवाला मानते थे। भारत वार्षिक स्तर पर अतिवृष्टि का साक्षी रहा जिसके कारण भूस्खलन, बाढ़ और शहरी जलजमाव बड़े पैमाने पर हुए।

1.61 लेकिन जलवायु संकट के इन तीखे संकेतों से भी, ग्लासगो में हुए सीओपी 26 में कोई महत्वपूर्ण बदलाव सामने नहीं आया। वैश्विक उत्सर्जन, जिसे 2030 तक 50 प्रतिशत नीचे आना चाहिए, उसके बारे में अनुमान यह है कि तब तक वस्तुत: 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने जा रही है। इसे संबोधित करने के बजाए, अमरीका ने गोलपोस्ट बदल दिए और विकसित तथा विकासशील, सभी देशों के द्वारा 2050 तक 'नेट ज़ीरो' उत्सर्जन की प्रतिबद्धता के लिए आक्रामक तरीक़े से जोर लगाया। 'नेट ज़ीरो' उत्सर्जन का मतलब है, इतना उत्सर्जन जो समुद्रों और जंगलों द्वारा अवशोषित होने वाली मात्रा के बराबर हो। इस अनिश्चित दीर्घकालिक लक्ष्य पर, जिसे कई देशों ने अपनाया, अमरीका के जोर ने 2030 के अहम लक्ष्यों से हमें भटका दिया, और एक बार फिर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पोंसिबिलिटी (सीबीडीआर) के ईक्विटी सिद्धांत की अनदेखी कर दी गयी।

1.62 सीओपी 26 के निराशाजनक नतीजे को, अमरीका और उसके मित्र देशों ने अन्य तरीक़ों से भी सुनिश्चित किया। 12 साल पहले कोपेनहेगन में विकसित देशों द्वारा सुभेद्य राष्ट्रों की जलवायु प्रभाव के संदर्भ में मदद करने के लिए सालाना 100 अरब डॉलर का जो वायदा बड़े जोर-शोर से किया गया था, उसे चलते-चलाते तीन और सालों के लिए स्थगित कर दिया गया। अमरीका और दूसरे विकसित देश, जलवायु वित्तपोषण को निजी क्षेत्र के हवाले करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां कोयले के प्रयोग को चरणबद्ध तरीक़े से समाप्त करने को लेकर काफी शोर-शराबा मचाया गया, वहीं पेट्रोलियम को लेकर बयान खामोश था, सिवाय 'अक्षम सब्सिडी' को खत्म करने के एक हल्के से उल्लेख के। साफ़ तौर पर, अमरीका के नेतृत्व में चल रहे उन्नत पूंजीवादी देश जहां विकासशील देशों पर उत्सर्जन घटाने का अधिक बोझ उठाने के लिए दबाव बनाते रहते हैं, वहीं यह मानते हैं कि वे खुद कार्बनरहित अर्थव्यवस्था में रूपांतरण के लिए, समय की अधिक छूट पाने की पात्रता रखते हैं।

1.63 अगर भूमंडलीय दक्षिण के करोड़ों लोगों की सुख-शांति को खतरे में नहीं डालना है तो, ग्लोबल वार्मिंग उत्पादक शक्तियों के जिस संकट का प्रतिनिधित्व करती है, उसे समता के आधार पर हल किया जाना चाहिए। सीओपी 26 वैश्विक समता के लिए जारी इस संघर्ष के तीव्रीकरण को चिह्नित करता है, जो कि एक लंबा

संघर्ष होने जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट सहयोग

1.64 दक्षिणपंथ की ओर झुकाव और प्रतिक्रियावादी विचारधाराओं तथा इथनो-राष्ट्रवाद की बढ़त के कारण पूरी दुनिया की कम्युनिस्ट, वाम और प्रगतिशील ताकतों का आपसी सहयोग बढ़ाना जरूरी हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टियों और मज़दूर पार्टियों की नियमित बैठकों ने यह अवसर मुहैया कराया कि अपने अनुभवों को साझा किया जाए और इस चीज पर एक साझा समझ विकसित की जाए कि प्रमुख समाजार्थिक चुनौतियों से कैसे निपटें। अलबत्ता, इन सहकारी और सहयोगी प्रयासों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, खासकर गहराते आर्थिक संकट की इस परिस्थिति में और यह देखते हुए कि कोविड महामारी का पूरी दुनिया में कामगार जनता पर हमले बढ़ाने के लिए, इस्तेमाल किया जा रहा है।

साम्राज्यवाद-विरोधी एकजुटता को मज़बूत करो

1.65 सीपीआइ (एम) जनता के बीच एक जोशीला अभियान चलाएगी और अमरीकी साम्राज्यवाद के सभी रूपों के सामने, भाजपा सरकार के सम्पूर्ण समर्पण के खिलाफ़ गोलबंदी करेगी।

1.66 सीपीआइ (एम) अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ़ वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्षों और दक्षिण एशिया में अपने रणनीतिक हितों को आक्रामक तरीक़े से आगे बढ़ाने वाले उसके हस्तक्षेप के खिलाफ़ चल रहे संघर्षों को, बल प्रदान करेगी।

1.67 सीपीआइ (एम) इस्राइली आक्रामकता और फिलिस्तीनी जमीन पर उसके क़ब्ज़े के खिलाफ़ फिलिस्तीन की जनता के संघर्ष के प्रति अपने समर्थन और एकजुटता पर फिर से बल देती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनेक बैठकों में पारित प्रस्ताव को, जिसने पूर्वी यरूशलम को राजधानी का दर्जा देते हुए, अपनी जमीन पर फिलिस्तीनी जनता के अधिकार को स्वीकार किया है, कार्यान्वित होना चाहिए।

1.68 सीपीआइ (एम), भाजपा सरकार द्वारा आगे बढ़ायी जा रही अमरीका-इस्राइल-भारत धुरी का मज़बूती से विरोध करती है।

1.69 सीपीआइ (एम) सभी समाजवादी देशों—चीन, वियतनाम, डीपीआरके, क्यूबा और लाओस—के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता का इजहार करती है। वह अपने-अपने देशों में समाजवाद को मज़बूत करने के उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करती है। वह उन देशों में साम्राज्यवादी साजिशों को परास्त करने के साथ, अपनी एकजुटता व्यक्त करती है।

1.70 सीपीआइ (एम) लातीनी अमरीका में चल रहे साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्षों के साथ, खासकर अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ़ वेनेजुएला के संघर्ष के साथ, अपनी एकजुटता व्यक्त करती है।

1.71 सीपीआइ (एम) आतंकवाद के हर रूप और प्रकार का, राज्य-प्रायोजित और अलग-अलग समूहों के आतंकवाद का, दृढ़ता से विरोध करती है।

1.72 सीपीआइ (एम) नव-फासीवादी ताक़तों, बुनियादपरस्ती, धार्मिक कट्टरता, एथनिक संकीर्णतावाद, अंधविश्वास और प्रतिक्रियावादी शक्तियों से लोहा लेती हर ताक़त के साथ एकजुटता व्यक्त करती है।

1.73 सीपीआइ (एम) पूरी दुनिया के वाम क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ अपने रिश्तों को सुदृढ़ करेगी।

1.74 वैश्विक स्तर पर, सीपीआइ (एम) साम्राज्यवाद की तमाम तरह की अभिव्यक्तियों के खिलाफ, नव-उदारवाद के खिलाफ़, विश्व के वायुमंडल की खतरनाक बदतरी के खिलाफ़ और सार्वभौमिक जलवायु न्याय के पक्ष में चल रहे सभी आंदोलनों के साथ, अपनी एकजुटता का हाथ बढ़ाएगी।

1.75 सीपीआइ (एम) पूरी दुनिया में एक मुकम्मल साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन निर्मित करने के लिए, जन-संघर्षों की विभिन्न धाराओं को एक साथ लाने के प्रयास करेगी।

राष्ट्रीय परिस्थिति

2.1 22वीं पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में, तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थिति का आकलन इस प्रकार किया गया था:

''मोदी सरकार के करीब चार साल एक दक्षिणपंथी, तानाशाहीपूर्ण-सांप्रदायिक निजाम ले आए हैं। इस निजाम की विशेषताएं हैं: नवउदारतावादी नीतियों पर तेजी से चले जाना, जिसके चलते मेहनतकश जनता पर चौतरफा हमले हो रहे हैं; आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडा को लागू करने के सतत प्रयास, जिससे शासन के धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा पैदा हो गया है तथा इसके साथ ही अल्पसंख्यकों तथा दलितों पर हमले हो रहे हैं; अमरीका के साथ रणनीतिक गठजोड़ को मजबूत करना तथा एक अधीनस्थ सहयोगी की भूमिका अदा करना; और संसदीय जनतंत्र को कतरने तथा संवैधानिकसंस्थाओं तथा जनतांत्रिक अधिकारों को ध्वस्त करने के जरिए, तानाशाही का ढांचा खड़ा करना।''

2.2 उसके बाद से उक्त दक्षिणपंथी हमला और तेज हुआ है। बहरहाल, पहली बार से ज्यादा सीटों तथा मत फीसद के साथ, दोबारा मोदी सरकार के आने के साथ, फासिस्टी आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडा का आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाया जाना शुरू हो गया। खासतौर पर 2019 में कोविड के सामने आने के बाद के दौर में जो कुछ सामने आ रहा है, हमारे पार्टी कार्यक्रम में जो सूत्रबद्ध किया गया है, उसके ही अनुरूप है:

''भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिक्रियावादी पार्टी है, जिसका ऐसा फूटपरस्त तथा सांप्रदायिक मंच है जिसकी प्रतिक्रियावादी अंतर्वस्तु अन्य धर्मों के प्रति घृणा, असष्णिुता और अंधराष्ट्रवादी उन्माद पर आधारित है। भाजपा कोई सामान्य पूंजीवादी पार्टी नहीं है क्योंकि फासीवादी सोच वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस पर हावी है और उसका मार्गदर्शन करता है। भाजपा के सत्ता में रहने से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहुंच, सरकारी मशीनरी और राज्य तंत्र के विभिन्न अंगों तक हो जाती है। हिंदुत्व

की विचारधारा, पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा देती है तथा एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना का लक्ष्य लेकर, भारत की मिली-जुली संस्कृति को ठुकराती है।'' (7.14)

''सांप्रदायिक और फासीवादी सोच वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्ववाले गठबंधन के उभार और उसके केंद्र में सत्ता संभालने के साथ, धर्मनिरपेक्ष बुनियाद के लिए पैदा हुई चुनौती ने एक बड़े खतरे का रूप ले लिया है। राज्य की संस्थाओं, प्रशासन, शिक्षा प्रणाली और सूचना माध्यमों के सांप्रदायिकीकरण की योजनाबद्ध कोशिशें जारी हैं। बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का उभार, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की ताकतों को मजबूत करेगा और राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालेगा। भाजपा और उसके सांप्रदायिक मंच के लिए, बड़े पूंजीपति वर्ग के एक हिस्से के समर्थन के, देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ''(5.7)

''पार्टी को देश के आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक जीवन में, धर्म के किसी भी रूप में हस्तक्षेप के खिलाफ और संस्कृति, शिक्षा तथा समाज में, धर्मनिरपेक्ष तथा जनतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने के लिए, संघर्ष करना चाहिए। धार्मिक सांप्रदायिकता पर आधारित फासीवादी रुझानों के जड़ जमाने के खतरे का, सभी स्तरों पर दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया जाना चाहिए।''(5.8)

2.3 भाजपा एक आख्यान गढ़ने में कामयाब रही, जो सांप्रदायिक राष्ट्रवादी उन्माद के गिर्द गढ़ा गया था। वह पुलवामा के आतंकी हमले तथा उसके बाद बालाकोट के हवाई हमले का इस्तेमाल कर के, चुनाव के आख्यान को जनता की रोजी-रोटी के मुद्दों से तथा उस समय बढ़ते जन संघर्षों की तरफ से मोड़ने में कामयाब रही।

2.4 भाजपा, एक वृहत्तर 'हिंदू पहचान' गढ़ने में कामयाब रही, जो उल्लेखनीय हद तक सामाजिक-एथनिक विभाजनों के पार जाती थी। और इसके साथ ही उसने निचले स्तर पर घोर जाति-आधारित गोलबंदियां खड़ी कीं। दौलत की बेशुमार ताकत और आरएसएस-भाजपा के मीडिया तथा सोशल मीडिया पर नियंत्रणों ने, चुनाव नतीजों को उल्लेखनीय हद तक प्रभावित किया। भाजपा का यह धनबल, जिसे चुनावी बांड के उपकरण समेत तरह-तरह से जमा किया गया है, बराबरी के मैदान से वंचित करता है, जो कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है।

2.5 2019 के चुनाव नतीजे, दक्षिणपंथ की ओर राजनीतिक झुकाव के और उसके सुदृढ़ीकरण के और भारत में बढ़ते फासीवादी रुझानों के सूचक थे।

2019 के बाद से भाजपा सरकार

2.6 दूसरी बार सत्ता संभालने के फौरन बाद, भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य को भंग कर दिया, संविधान की धारा-370 तथा 35ए को निरस्त कर दिया, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती थीं और दो केंद्र शासित क्षेत्र बना दिए। हालांकि, जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव हुए थे, जबकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, लेकिन विधानसभा के चुनाव नहीं कराए गए। इसने संसद में भाजपा की कपट-लीला में मदद की। निर्वाचित राज्य विधानसभा के अभाव में, राज्य विधानसभा की सहमति के स्थानापन्न के रूप में, राज्यपाल से हामी भरवा ली गयी।

2.7 इसके बाद सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) बनाया और एलान कर दिया कि पहले राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर (एनपीआर) बनाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार किया जाएगा। यह हमारे संविधान का घोर उल्लंघन है, जोकि नागरिकता को धर्म से नहीं जोड़ता है। सीएए, मुसलमानों को छोड़कर, दूसरे सभी विदेशी प्रवासियों को, नागरिकता देने को फास्ट-ट्रैक करने का प्रावधान करता है। इस सरासर असंवैधानिक कानून को दी गयीं कानूनी चुनौतियां, करीब तीन साल होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने लटकी ही हुई हैं।

2.8 भारतीय संविधान के चरित्र को ही बदलने के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान के चारों बुनियादी स्तंभों—धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, संघात्मक व्यवस्था, सामाजिक न्याय और आर्थिक संप्रभुता—पर हमले हो रहे हैं।

आर्थिक संप्रभुता का कमजोर किया जाना

2.9 2019 में दोबारा भाजपा सरकार बनने के बाद से नवउदारवादी आर्थिक सुधारों ने उन्मत्त तेजी पकड़ ली है। भारतीय आर्थिक संप्रभुता का विनाश बहुआयामी तरीके से हो रहा है, जो सामान्य निजीकरण तथा कारपोरेटों को कर रियायतें दिए जाने से आगे तक जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से, तथा विशेष रूप से प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से, भारत की आत्मनिर्भरता की जो नींवें डाली गयी थीं, उन सभी को कमजोर किया जा रहा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था

को दूसरों पर आश्रित बनाकर छोड़ देने की खतरनाक दिशा में ले जा रहा है।

2.10 हमारी राष्ट्रीय परिसंपत्तियों तथा अर्थव्यवस्था के इस विनाश तथा लूट का, करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी के तबाह किए जाने के रूप में बहुत भारी कुप्रभाव पड़ रहा है और इसके साथ ही यह अर्थव्यवस्था को अनवरत मंदी तथा संकट की दलदल में धकेल रहा है।

2.11 **आर्थिक मंदी:** भारत की अर्थव्यवस्था, जो महामारी से पहले से सुस्त पड़ रही थी, अब मंदी में खिसक गयी है। वित्त वर्ष 2020-21 के पूर्वार्द्ध में, अर्थव्यवस्था में 16 फीसद संकुचन हुआ था। इस वित्त वर्ष (2021-22) के पूर्वार्द्ध में वृद्धि दर, धनात्मक 14 फीसद रही है। इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था, महामारी से पहले का अपना स्तर भी दोबारा हासिल नहीं कर पायी है। महामारी से पहले के वर्ष, 2019-20 के पूर्वार्द्ध में, रुपया मूल्य में कुल जीडीपी 71,28,238 करोड़ रु0 रहा था, जबकि 2021-22 के पूर्वार्द्ध में यही जीडीपी 68,11,471 करोड़ रु0 रहा था यानी दो साल बाद भी जीडीपी 4.4 फीसद नीचे चल रहा था।

2.12 भारत पहले से आर्थिक रूप से नीचे खिसक रहा था और लगातार 9 तिमाहियों से वृद्धि दर तेजी से नीचे जा रही थी। 2017-18 की चौथी तिमाही में वृद्धि दर 8.2 फीसद थी, जो 2019-20 की चौथी तिमाही तक घटकर 3.1 फीसद रह गयी थी।

2.13 महामारी से पहले से वृद्धि दर में जो सुस्ती आ रही थी, उसके पीछे मध्यम अवधि और अल्पावधि, दोनों तरह के कारक काम कर रहे थे। मध्यम अवधि के कारकों में दो प्रमुखता से सामने आते हैं। इनमें एक तो था, आर्थिक वृद्धि को संचालित करने के लिए, राजकोषीय उत्तोलक का उपयोग करने के लिए सरकार का अनिच्छुक होना। सरकार की नवउदारवादी राजकोषीय नीति के चलते, जिसके तहत निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने पर लक्षित कर 'सुधार' किए जा रहे थे, कर राजस्व में अवरोध बना रहा है या उसमें गिरावट तक आयी है। इसके बावजूद, वित्तीय पूंजी को खुश करने के लिए, राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाए रखा जा रहा था। इसका नतीजा राजकोषीय उत्प्रेरण का कमजोर बने रहना या करीब-करीब गायब ही रहना था।

2.14 इसके चलते **खर्च के सिकुड़ने** से, जीडीपी में गिरावट और बढ़ गयी। निजी अंतिम उपभोग, जो 2020-21 के पूर्वार्द्ध में 19 फीसद घटा था, 2021-22 तक उससे सिर्फ 14 फीसद बढ़ा। सकल पूंजी निर्माण, जो 2020-21 में 28 फीसद घट गया था, बाद की अवधि में उक्त गिरावट को ही पूरा कर पाया था। और इस सब के पीछे यह तथ्य छुपा हुआ था कि 2020-21 के पूर्वार्द्ध में सरकार के खर्च में 6 फीसद की गिरावट हुई थी और 2021-22 के पूर्वार्द्ध में उसके मुकाबले सिर्फ 1 फीसद की ही बढ़ोतरी हो पायी थी।

2.15 2020-21 में, जब महामारी अपने शिखर पर थी और वक्त का तकाजा था कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाता, महामारी तथा लॉकडाउन के चलते बर्बाद हुए लोगों को प्रत्यक्ष नकद सहायता दी जाती तथा आर्थिक बहाली को तेज करने के लिए एक सकर्मक राजकोषीय नीति अपनायी जाती, 2021-22 के बजट में सरकार के राजकोषीय पुराणपंथीपन से चिपके रहने का ही प्रतिबिंबन हो रहा था। एक ऐसे वर्ष में, जबकि रुपयों में जीडीपी 14.4 फीसद बढ़ने का अनुमान पेश किया जा रहा था, कुल खर्च में सिर्फ 9.5 फीसद बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया था।

2.16 इसका अनुपातहीन तरीके से ज्यादा बोझ कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटनों पर और बुनियादी सामाजिक सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधानों पर पड़ा। रोजगार योजनाओं, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए प्रावधान, खाद्य सुरक्षा के उपाय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सभी पर, जो वादे किए गए थे उनसे कम आवंटन किए जाने की मार पड़ी। और यह हुआ, बड़े पैमाने पर निजीकरण तथा विनिवेश का सहारा लिए जाने के बावजूद। इसने गरीब जनता की मुश्किलों तथा वंचनाओं को बदतर बनाने का ही काम किया।

2.17 **कृषि संकट:** कृषि क्षेत्र पर सबसे बुरी मार पड़ी है। ऐसा उत्पाद का स्तर नीचा रहने की वजह से नहीं बल्कि कीमतों के नीचे रहने की वजह से हुआ है। इसके लिए मांग के सीमित रहने, गैर-लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और घोषित एमएसपी पर भी समुचित खरीदी न किए जाने, का योग जिम्मेदार है। सुधार के हिस्से के तौर पर अपनायी गयी, उपयोक्ता शुल्क बढ़ाए जाने तथा अनेक कृषि लागतों पर सब्सीडियां घटाए जाने की नीति के फलस्वरूप, यह क्षेत्र अवहनीय हो

गया है। इसका नतीजा यह है कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और व्यापक पैमाने पर किसानों की विरोध कार्रवाइयां हो रही हैं।

2.18 **जनता पर और ज्यादा बोझ:** गरीबों की मदद के लिए किए जाने वाले खर्चे बली चढ़ गए हैं। 2020-21 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मगनरेगा) पर खर्च, संशोधित अनुमान के अनुसार 1,10,000 करोड़ रु0 रहा था, जबकि बजट में इसके लिए 61,500 करोड़ रु0 रखे गए थे और 2019-20 में इस पर वास्तविक खर्च, 71,687 करोड़ रु0 का रहा था। अपनी आजीविकाओं से वंचित मजदूरों ने, जिनमें ग्रामीण इलाकों में लौट कर आए प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं, मगनरेगा की शरण ली थी और इसके चलते इस मांग-संचालित योजना के लिए, आवंटनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि, महामारी के नुकसानदेह प्रभाव बने हुए थे, फिर भी 2021-22 में मगनरेगा के लिए बजट आवंटन सिर्फ 73,000 करोड़ रु0 रखा गया और वादा कर दिया गया कि अगर इसके तहत रोजगार की मांग अनुमान से ज्यादा निकलेगी, इसके लिए और धन का प्रावधान कर दिया जाएगा। बहरहाल, दिसंबर की शुरूआत तक, इस योजना के लिए आवंटित राशि खप भी चुकी थी। वास्तव में, 27 से ज्यादा राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों ने, अपने लिए आवंटित इस योजना के फंड के 100 फीसद से ज्यादा का उपयोग कर लिया था। इसके बावजूद, 2021 की पूरक अनुदान मांगों में इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ 25,000 करोड़ रु0 का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जबकि जरूरत इससे कम से कम दोगुनी राशि की थी।

2.19 बेरोजगारी में डरावनी बढ़ोतरी, बढ़ती गरीबी और तेजी से **बढ़ती असमानताओं** के बावजूद, आर्थिक वृद्धि दर के सुस्त पड़ने का सरकार ने जिस तरह जवाब दिया है, उसने आय तथा संपदा की असमानताओं को बढ़ाने का ही काम किया है। बड़े दरबारी कारपोरेट ग्रुपों द्वारा विशाल मात्रा में लिए गए डुबाऊ ऋणों को माफ कर दिया गया और करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल कर के, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण किया गया है। कर्ज मार लेने वाले कारोबारी घरानों के लिए ये उपहार-वर्षा जारी रही है। मोदी सरकार के पिछले 7 साल के दौरान, कारपोरेटों द्वारा लिए गए 10.72 लाख करोड़ रु0 के ऋण माफ कर दिए गए हैं। इन्सोल्वेंसी/ दीवाला कोड की प्रक्रियाओं का सहारा लेकर, जान-बूझकर कर्ज मारे जाने को कानूनी बना दिया गया है।

2.20 इसके अलावा, 13 कंपनियों द्वारा लिए गए 4.5 लाख करोड़ रु0 के डुबाऊ कर्जों का, 64 फीसद तक के बहुत भारी ''हेयरकट्स'' के साथ निपटारा कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि 4.5 लाख करोड़ रु0 का निपटारा, सिर्फ 1.61 लाख करोड़ रु0 की अदायगी में कर दिया गया और बैंकों ने 2.85 लाख करोड़ रु0 का नुकसान अपने ऊपर ले लिया है। बैंकों में जमा जनता की बचतों का दरबारी कारपोरेटों को उपहार देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

2.21 पुन: कारपोरेटों को, कर रियायतों से फायदा पहुंचाया गया है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह, 2018-19 के 11.36 लाख करोड़ रु0 से घटकर 2019-20 में 10.49 लाख करोड़ रु0 रह गया यानी 8 फीसद घट गया। मांग में मंदी के बीच, प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में यह कमी, 2019 के सितंबर में घोषित कर रियायतों के चलते हुई थी।

2.22 उस **उत्प्रेरण** को कारपोरेट कर की दरों में भारी कटौती का रूप दिया गया। कर रियायतों तथा माफियों का लाभ न लेने वाली घरेलू कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर को 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद कर दिया गया। 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद इन्कार्पोरेट होने वाली नयी घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए तब तक 15 फीसद की घटी हुई कारपोरेट कर दर लागू होगी, जब तक वे प्रोत्साहनों तथा छूटों का लाभ नहीं लेती हैं। प्रोत्साहनों तथा छूटों का लाभ लेने वाली कंपनियों पर लागू होने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को 18.5 फीसद से घटाकर, 15 फीसद कर दिया गया है। यह एक विशाल उपहार था जिसने प्रत्यक्ष कर राजस्व को बढ़ने से रोके रखा है।

2.23 **सांप्रदायिक-कारपोरेट गठजोड़:** बड़े कारोबारियों के चुनिंदा हिस्सों और शासन के बीच साफ नजर आने वाली मिलीभगत, मोदी के शासन के दौर की एक पहचान कराने वाली विशेषता रही है।

2.24 इसका नतीजा यह हुआ है कि शीर्ष के चंद घरानों की तिजोरियों में आमदनियों का हस्तांतरण कराया गया है। ***द इकॉनमिस्ट*** के अनुसार, 2016 से 2020 के बीच मुकेश अंबानी की नैट वर्थ, 350 फीसद बढ़ गयी। इसी अवधि में गौतम अडानी की नैट वर्थ, 750 फीसद बढ़ गयी। 2020-21 में मुकेश अंबानी की नैट वर्थ 7.18 लाख करोड़ रु0 थी; गौतम अडानी की नैट वर्थ, 5.06 लाख करोड़ रु0। दूसरे अति-धनिकों तथा ऐसे कारोबारी घरानों की संपदा में भी, बड़ी तेजी से

बढ़ोतरियां हुई हैं। *ऑक्सफैम इंडिया* की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 10 सबसे धनवानों के पास, देश की कुल संपदा का 57 फीसद हिस्सा है, जबकि नीचे से आधी आबादी के पास, देश की संपदा का सिर्फ 13 फीसद हिस्सा है।

2.25 **राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की लूट:** केंद्र सरकार ने जो सीमित खर्चे किए भी हैं, उनका भी वित्त पोषण राजकीय परिसंपत्तियों को बेचने के जरिए किया गया है। नये निवेशों का वित्त पोषण मुख्यत: दो तरीकों से हो रहा है: सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सा पूंजी के विनिवेश से और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण या उनकी बिक्री से। राजस्व जुटाने के लिए सार्वजनिक परिसंपत्तियों की बिक्री पर यह निर्भरता, मूल्यवान परिसंपत्तियां मिट्टी के मोल चहेते कारपोरेटों के हवाले करने का बहाना बन गयी है। 2021-22 के बजट में विनिवेश की प्राप्तियां 1,75,000 रु0 लगायी गयी हैं, जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ बेहतरीन फर्मों तथा वित्तीय संस्थाओं को बेचा जाने वाला है। इसके तीन तत्व हैं: हिस्सा पूंजी का विनिवेश, रणनीतिक बिक्री और सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्र का निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा जीआइसी का निजीकरण किया जाना है और इसके साथ ही एलआइसी के शेयरों का विनिवेश किया जाना है। 'परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण' करने के प्रयत्नों को इसके साथ और जोड़ लीजिए। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के जरिए, 6 लाख करोड़ रु0 की जमीन, रेल मार्ग, स्टेशन, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ईंधन पाइपलाइन तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य परिसंपत्तियां बेची जाएंगी और सरकार के पूंजी व्यय के वित्त पोषण के लिए, कराधान से संसाधन जुटाने के बजाए, इन्हीं प्राप्तियों का सहारा लिया जाएगा।

2.26 इसलिए, साफ है कि यह आर्थिक मंदी, मोदी सरकार द्वारा नवउदारवादी नीतियों पर आक्रामक तरीके से चले जाने का ही नतीजा ज्यादा है। महामारी और लॉकडाउनों के असर ने तो हालात को और बिगाड़ने का ही काम किया है।

कोविड का मुजरिमाना कुप्रबंधन

2.27 कोविड महामारी के मोदी सरकार के मुजरिमाना कुप्रबंधन और उसके गड़बड़ी भरे अवैज्ञानिक रवैये ने, जनता की तकलीफों और मौतों को बहुत बढ़ा दिया। 2020 के मार्च में जल्दबाजी में और बिना योजना बनाए जो पूर्ण लॉकडाउन किया गया, उसने आर्थिक जीवन को ठप्प कर दिया और लाखों प्रवासी मजदूरों को पैदल चलकर, सैकड़ों मील दूर अपने गांवों के लिए लौटने पर मजबूर कर दिया। यह

सरकार टीकों की खरीद तथा बड़े पैमाने पर टीका उत्पादन के लिए तैयारी करने में नाकाम रही, जिसके चलते टीके की किल्लतें पैदा हुईं। उसने टीके बनाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों का इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया। उसने 2021 की जनवरी में कोविड वायरस पर जीत का झूठा एलान कर दिया और 2021 के मार्च में दूसरी लहर के सामने देश को अरक्षित छोड़ दिया। इसके चलते, कोविड संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन तथा बैडों की भारी तंगी पैदा हो गयी और लाखों मौतें हुईं, जिनमें से अनेक तो दर्ज भी नहीं हुईं। गंगा में तैरती लाशों के विचलित करने वाले दृश्य, मोदी सरकार द्वारा महामारी के घोर कुप्रबंधन की गवाही दे रहे थे।

2.28 मोदी सरकार ने हठधर्मिता से, संकट में फंसे लोगों को नकद सब्सीडियां देने से इंकार कर दिया और उसने जिस राजकोषीय उत्प्रेरण का एलान किया, जी-20 के देशों में सबसे थोड़ा था तथा इसमें बहुत मामूली अतिरिक्त सरकारी खर्च किया गया। कुल मिलाकर, इस सार्वजनिक स्वास्थ्य इमर्जेंसी के बीच भाजपा ने अपने अमानवीय तथा निष्ठुर रुख को ही दिखाया है।

जनता की जिंदगियों और आजीविकाओं पर हमले

2.29 जनता की रोजी-रोटी पर हमले, महामारी से बहुत पहले शुरू हो गए थे। महामारी के हालात का इस्तेमाल, हमलों को और तेज करने के लिए किया गया है और उसके बाद से ये हमले और भयानक हो गए हैं।

2.30 **बढ़ती गरीबी:** मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से, भारत ने अपने गरीबों की गिनती ही नहीं की है। प्यू रिसर्च सेंटर ने, विश्व बैंक के डॉटा का इस्तेमाल कर यह अनुमान लगाया है कि भारत में गरीबों की संख्या (जिनकी आय क्रय शक्ति तुल्यता या पीपीपी पर 2 डालर प्रतिदिन या उससे कम है), महामारी के चलते पैदा हुई मंदी के कारण, एक साल में ही दोगुनी से ज्यादा हो गयी और 6 करोड़ से बढ़कर, 13.4 करोड़ पर पहुंच गयी। इसका अर्थ यह है कि 45 साल बाद भारत, दोबारा उस स्थिति में पहुंच गया है, जहां उसे 'जन गरीबी वाला देश' (कंट्री ऑफ मास पावर्टी) कहा जा रहा है।

2.31 पुन: यह अनुमान लगाया गया है कि 15 से 19.9 करोड़ तक और लोग, 2021 के अंत तक गरीबी में फिसल चुके होंगे। महामारी के दौरान, दुनिया में गरीबी

में जितनी भी बढ़ोतरी हुई है, उसमें से करीब 60 फीसद हिस्सा भारत का ही रहा है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में बिहार की 51.91 फीसद आबादी को गरीब वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद झारखंड का नंबर है (42.16 फीसद), उत्तर प्रदेश (37.79 फीसद), मध्य प्रदेश (36.65 फीसद) और मेघालय तथा असम (दोनों 32.67 फीसद)।

2.32 **बढ़ती बेरोजगारी:** 2019 के नवंबर के (एक) महीने में ही 68 लाख वेतनयाफ्ता लोगों के रोजगार छिन गए। शहरी भारत में करीब 9 करोड़ बेरोजगार हैं। शहरी भारत में 23 फीसद युवा बेरोजगार बैठे हैं।

2.33 रोजगार में लगे भारतीयों की कुल संख्या, जो 2013 में 44 करोड़ थी, 2016 तक घटकर 41 करोड़ रह गयी थी। 2017 में यह संख्या और घटकर 40 करोड़ रह गयी और 2021 तक 38 करोड़ रह गयी। लेकिन, इसी दौरान काम करने लायक आबादी, 79 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़ हो गयी। रोजगार पाने में विफल रहने के चलते, करोड़ों लोगों ने रोजगार की तलाश ही छोड़ दी और प्राण रक्षा करने के लिए, वापस ग्रामीण भारत का रुख कर लिया। सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों को झेलनी पड़ी, जो लॉकडाउनों तथा कामबंदी के चलते घर-गांव लौटने के लिए मजबूर हो गए। श्रम शक्ति में हिस्सेदारी की दर, महामारी से पहले के 43 फीसद के स्तर से गिरकर, 40 फीसद रह गयी है। श्रम शक्ति में महिलाओं का हिस्सा, यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार, 2013 के 36 फीसद से गिरकर, 2018 में 23 फीसद रह गया। 2019 में, महामारी से जुड़े लॉकडाउनों से पहले ही यह हिस्सा और गिरकर, 18 फीसद ही रह गया था। 2021 की फरवरी में यह हिस्सा, सिर्फ 9.24 फीसद था।

2.34 **बढ़ती भूख:** वैश्विक भूख सूचकांक ने 2021 में भारत को 116 देशों में 101वें स्थान पर रखा है। पिछले वर्ष भारत इसी सूचकांक पर 94वें स्थान पर था। भारत को अब 'भूख के गंभीर स्तर वाले देश' की श्रेणी में रखा जा रहा है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इस सूचकांक के अंतर्गत आने वाले देशों में भारत में शिशु कमजोरी (वेस्टिंग) यानी लंबाई अनुपात में कम वजन के बच्चों का हिस्सा, सबसे ज्यादा है। हमारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5, बच्चों के बीच कुपोषण तथा शिशु मृत्यु दर में भयानक बढ़ोतरी दिखाता है। इसके बाद भी, अध्ययनों ने यह दिखाया है कि दोपहर

का भोजन योजना के मामूली आवंटन में भी, 2014 और 2021 के बीच 32.3 फीसद की भारी कमी कर दी गयी। 2018-19 में, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए आवंटित फंड में से सिर्फ 44 फीसद का उपयोग किया गया था। पात्रता के दायरे में आने वाले 40 करोड़ लोगों को, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से पूरी तरह से बाहर छोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जानबूझकर नष्ट किया जा रहा है।

2.35 **कमरतोड़ महंगाई:** कोविड के पूरे दौर में, जब लोगों की तकलीफें बेहिसाब बढ़ रही थीं, पैट्रोल तथा डीजल की कीमतों में करीब-करीब हर रोज बढ़ोतरी की जा रही थी। सरकार, पैट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क, सरचार्ज तथा सैस को लगातार तब तक बढ़ाती रही, जब तक पैट्रोल तथा डीजल, दोनों की कीमतों ने 100 रु0 प्रति लीटर के अभूतपूर्व दाम को नहीं छू लिया। वित्त मंत्री ने संसद को बताया था कि पिछले तीन वर्षों में, 2018 से 2021 के बीच केंद्र सरकार ने, इन करों के जरिए पूरे 8.02 लाख करोड़ रु0 बटोरे थे। जनता के दबाव में आखिरकार, 2021 के नवंबर में उसे पैट्रोल तथा डीजल पर शुल्कों में कुछ कमी करनी पड़ी। बहरहाल, इससे बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगने वाला नहीं है। केंद्र सरकार को, पैट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए सैस तथा सरचार्जों को रद्द करना चाहिए और उन पर उत्पाद शुल्कों में बढ़ोतरियों को पलटना चाहिए।

2.36 इसी दौरान, रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है और उनका दाम 900 से 1000 रु0 तक हो गया है। 2021 की पहली जनवरी से, सब्सीडी वाले गैस सिलेंडर के दाम में 205 रु0 की बढ़ोतरी की जा चुकी है। सरकार ने रसोई गैस सिलेंडरों पर सब्सीडी देना बंद कर दिया है। पाइपलाइन वाली गैस और सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं।

2.37 इससे, परिवहन तथा अन्य लागतों के बढ़ने के चलते, मुद्रास्फीति चक्र भड़क उठा है। थोक मूल्य सूचकांक, 2021 के नवंबर में 30 साल के अपने शिखर पर पहुंच गया। खाद्य सामग्री, सब्जियों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 14.2 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो 12 साल का रिकार्ड है।

धर्मनिरपेक्षता पर हमला

2.38 हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर भीषण हमला हो रहा

है। अयोध्या में मंदिर के निर्माण तथा काशी विश्वनाथ कॉरीडोर की शुरूआत के मौके पर हुए आयोजनों के राष्ट्रीय प्रसारण में, जो दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों को भी कवर करता था, इन्हें शासन द्वारा प्रायोजित आयोजनों के तौर पर पेश किया जा रहा था। इस सिद्धांत को पूरी तरह से ही त्याग दिया गया है कि शासन को, सभी धार्मिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। यह इस बढ़ती सचाई का संकेतक है कि मोदी सरकार भारत को, एक हिंदू राज्य की ओर ले जा रही है।

2.39 मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने वाले नफरत तथा हिंसा के भीषण अभियान, भाजपायी राज्य सरकारों के संरक्षण में तेजी से फैल रहे हैं। हथियारबंद भीड़ों को सांप्रदायिक हमले करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। 2020 की फरवरी में दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा, एक संगठित, पूर्व-नियोजित हमले का हिस्सा थी। इस हिंसा के दोषियों के खिलाफ या आगलगाऊ भाषण देने वालों के खिलाफ, जिनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी है। पीड़ितों को न्याय दिलाना तो दूर, उल्टे इस हिंसा के अनेक पीड़ितों पर ही मुकद्दमे चलाए जा रहे हैं। हरिद्वार में हुई तथाकथित धर्म संसद ने, मुसलमानों के बड़े पैमाने पर नरसंहार का दहाला देने वाला आह्वान किया है।

2.40 भाजपा की राज्य सरकारें, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तीखा करने को लक्ष्य बनाकर, कानून बनाती रही हैं। भाजपा-शासित राज्यों ने कानूनों की पूरी शृंखला बनाकर, गायों तथा अन्य मवेशियों को काटने पर पूरी पाबंदी लगा दी है, जिसका इस्तेमाल मवेशियों तथा मांस के व्यापार में लगे मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में और हाल ही में कर्नाटक में, धर्मांतरण और तथाकथित लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाए गए हैं।

2.41 इन कानूनों का आए दिन, अल्पसंख्यक समुदाय के निर्दोष लोगों को निशाना बनाने के लिए और उन पर शारीरिक रूप से हमले करने या उन पर कानूनन मुकद्दमे चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सतही से सतही आरोपों में, राजद्रोह की धाराएं लगायी जा रही हैं। नफरत तथा हिंसा के अभियानों को सामान्य बना दिया गया है और उनका कानूनी अनुमोदन करा दिया गया है।

बढ़ती तानाशाही

2.42 **जनतांत्रिक अधिकार तथा नागरिक स्वतंत्रताएं:** अंधाधुंध यूएपीए/राजद्रोह/एनएसए का इस्तेमाल कर, सैकड़ों लोगों को, ठीक से आरोप तक तय किए बिना ही जेलों में बंद कर के रखा जा रहा है। इन अत्याचारी प्रावधानों का इस्तेमाल सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही नहीं किया जा रहा है, जिन्हें खास निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि इनका इस्तेमाल पत्रकारों के खिलाफ और दूसरे ऐसे लोगों के खिलाफ भी किया जा रहा है, जो सरकार से असहमत हैं या उसका विरोध करते हैं। असहमति के साथ, राष्ट्रद्रोही वाला सलूक किया जा रहा है। सीएएविरोधी कार्यकर्ताओं को, खासतौर पर युवाओं को, दिल्ली की सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को और उनके साथ एकजुटता जताने वालों तथा उनकी मदद करने वालों को, अत्याचारी कानूनों के अंतर्गत बंद किया गया है। फर्जी भीमा-कोरेगांव प्रकरण में, 16 बुद्धिजीवियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को यूएपीए के अंतर्गत जेल में डाला गया है। फादर स्टेन स्वामी की तो जेल में ही रहते हुए मौत हो गयी जबकि दो लोगों को छोड़कर, शेष सभी अब भी जेल में पड़े हुए हैं। 2015 से 2019 के बीच यूएपीए के मामलों में 72 फीसद बढ़ोतरी हुई है जबकि इस कानून के अंतर्गत मुकद्दमों में आरोपियों के दोषी सिद्ध होने की दर सिर्फ 2 फीसद है।

2.43 कुल मिलाकर तानाशाही को पुख्ता किया गया है, जिसका नतीजा यह है कि संवैधानिक गारंटियों को कमजोर किया जा रहा है और जनतांत्रिक अधिकारों व नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमले हो रहे हैं।

निगरानी राज्य का ढांचा

2.44 मोदी सरकार ने एक निगरानी राज्य का ढांचा विकसित किया है, जिसका मतलब है नागरिकों की निजता में लगातार घुसपैठ किया जाना।

2.45 भारत में कानून का पालन कराने वाली अनेक एजेंसियों को, डिजिटल निगरानी के वर्तमान ढांचे के जरिए, हमारे डिजिटल डॉटा तक पहुंच हासिल है। निगरानी के इस ढांचे में, टेलीकॉम निगरानी के लिए सेंट्रल मॉनीटरिंग सिस्टम है, इंटरनैट के विश्लेषण के लिए नैटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस (एनईटीआरए) है, निगरानी के डॉटा बेसों का राष्ट्रीय ग्रिड—एनएटीजीआरआइडी—है और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल

जस्टिस सिस्टम (आइसीजेएस) है, जिसके पास डीएनए, फेशियल रिकॉग्नीशन, बॉयोमीट्रिक्स तथा आइडेंटिटी का डॉटा है।

2.46 इसके अलावा सरकार टैक्स रिटर्न फाइल करने, आधार जैसी डिजिटल पहचानों से जुड़े राशन कार्डों से राशन मुहैया कराने आदि, अपनी सेवाओं के विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों तथा एप्पों के जरिए भी, लोगों का डॉटा इकट्ठा करती है। यह सब, इसे सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह की बचाव व्यवस्थाओं के बिना ही किया जा रहा है कि इनके माध्यम से जो डॉटा जमा किया जा रहा है, कानूनी तरीके से ही जमा किया, यह डॉटा जरूरत भर के हिसाब से हो और उसका दुरुपयोग नहीं किया जाए। उल्टे सरकार की योजना तो, अपने एकत्र किए हुए इस डॉटा तक, निजी कारोबारियों को पहुंच हासिल कराने की और उन्हें अपने कारोबारी उद्देश्यों के लिए इस डॉटा का इस्तेमाल करने देने की है। इस तरह के डिजिटल प्लेटफार्मों तथा एप्पों के डॉटा का, डिजिटल निगरानी के पहले से मौजूद ढांचे के साथ योग, व्यक्तिगत निजता और नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए, एक उल्लेखनीय खतरा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निजता को एक मौलिक अधिकार ठहराया है, पर्सनल डॉटा प्रोटैक्शन बिल-2019 का मसौदा, जिसकी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पड़ताल की जा चुकी है, गैरकानूनी निगरानी से और डॉटा के अवैध इस्तेमाल से, नागरिकों की हिफाजत नहीं करता है। सरकार के सीमा-अतिक्रमण से नागरिकों की हिफाजत करने के लिए एक कानूनी खाका तैयार करने के संबंध में श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए, इस विधेयक में सरकारी एजेंसियों को, प्रस्तावित कानून के सभी प्रावधानों से छूट देकर, झाड़ूमार शक्तियां दे दी गयी हैं।

2.47 पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल के भंडाफोड़ ने, नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा निजता के लिए पैदा हो गये खतरों को उजागर किया है। इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन हैक करने के लिए किया गया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, पेगासस के इस्तेमाल का सच स्वीकार करने से इंकार कर दिया है, जबकि इस्राइली कंपनी एनएसओ ने, जो पेगासस की आपूर्ति करती है, बार-बार यह कहा है कि यह स्पाईवेयर सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही मुहैया कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है, जो इसकी जांच करेगी कि क्या भारत में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया था।

2.48 मसौदा पर्सनल डॉटा प्रोटैक्शन कानून में सरकारी एजेंसियों के लिए जिन छूटों का प्रावधान किया गया है, उनसे तो निगरानी निजाम कायम करने के सरकार के हौसले ही और बढ़ जाएंगे, जिससे नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। एक मुकम्मल निजी डॉटा प्रोटैक्शन प्राइवेसी कानून सुनिश्चित करने के लिए और अवैध सरकारी निगरानी का अंत कराने के लिए, आने वाले दिनों में संघर्ष को आगे ले जाना होगा।

कमजोर किया जाता संघवाद

2.49 इन वर्षों में संघवाद पर सभी क्षेत्रों—शैक्षणिक, राजनीतिक, राजकोषीय, सामाजिक तथा संस्कृतिक—में मुसलसल, चौतरफा हमले होते रहे हैं।

2.50 राज्यपालों तथा लैफ्टीनेंट गवर्नरों की भूमिका, सभी संवैधानिक नियम-कायदों का अतिक्रमण करने वाली है। विपक्ष-शासित राज्यों में वे भाजपा के राजनीतिक एजेंडा के विस्तार के रूप में काम करते हैं।

2.51 संविधान के तहत राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर, खुद ही कानून बना देने के जरिए, केंद्र लगातार राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहा है। शिक्षा, समवर्ती सूची में आती है। लेकिन, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कोई परामर्श किए बिना ही, इकतरफा तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का एलान कर दिया। पुन: तीन प्रतिगामी कृषि कानून भी, राज्यों से किसी भी परामर्श के बिना ही बनाए गए थे। इसी प्रकार, गामीण विकास के अंतर्गत आने वाली विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय स्तर से ही बनायी गयी हैं। केंद्र में एक सहकारिता मंत्रालय का बनाया जाना, राज्यों के अधिकारों पर एक नंगा अतिक्रमण है क्योंकि सहकारिताएं, राज्य के विषयों में आती हैं।

2.52 सांस्कृतिक क्षेत्र में, राज्य सरकारों की स्वायत्तता को लगातार सिकोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार सचेत रूप से हिंदी को बढ़ावा दे रही है जबकि, संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित सभी राष्ट्रीय भाषाओं को बराबरी का दर्जा देने से इंकार किया जा रहा है।

2.53 **राजकोषीय संघवाद:** भाजपा के राज में, जीएसटी के लागू किए जाने के साथ, राज्यों के लिए राजकोषीय गुंजाइश को गंभीर रूप से सिकोड़ दिया गया है। न

सिर्फ राज्यों की कराधान की शक्तियां छिन गयी हैं बल्कि उन्हें जीएसटी में उछाल के अभाव के चलते, भारी राजस्व हानि का सामना करना पड़ रहा है। राज्यों के चुनाव के पिछले चक्र की पूर्व-संध्या में, जीएसटी की दरों में भारी कटौती कर के, उन्हें राजस्व-तटस्थ स्तर से नीचे खिसका दिया गया था। राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति में देरी होती है और अक्सर इसमें बकाये बने रहते हैं। क्षतिपूर्ति की पांच वर्ष की अवधि, 2022 में खत्म होने जा रही है और केंद्र सरकार उसकी अवधि बढ़ाने से इंकार कर रही है। अनेक राज्यों के सिर पर राजस्व बैठ ही जाने का खतरा मंडरा रहा है।

2.54 इसके अलावा राज्यों को केंद्र द्वारा संग्रहीत अप्रत्यक्ष करों के उनके उचित हिस्से से वंचित किया जा रहा है क्योंकि केंद्र सैसों तथा सरचार्जों का ही ज्यादा सहारा ले रहा है। इनसे होने वाली राजस्व प्राप्तियों को करों के उस विभाज्य पूल से बाहर रखा जाता है, जिसमें से 42 फीसद हिस्सा राज्यों को मिलता है। राज्यों को, कर राजस्व के उनके हिस्से से वंचित करने की यह प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं है।

2.55 योजना आयोग के खत्म किए जाने से, नयी योजनाओं के लिए खर्च का विशाल आवंटन, पूरी तरह से केंद्रीय वित्त विभाग की मनमर्जी पर निर्भर हो गया है, जिससे नियोजन तथा समता के अभाव से जुड़े गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। केंद्र सरकार, राज्यों के क्षेत्र में आने वाले विषयों पर, किसी भी संघीय परामर्श के बिना ही, मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भी दस्तखत कर रही है।

2.56 गैर-भाजपायी राज्य सरकारों को, तमाम जनतांत्रिक ताकतों के साथ मिलकर, संघवाद पर ऐसे हमलों का प्रतिरोध करना चाहिए और राज्यों के अधिकारों की हिमायत में खड़ा होना चाहिए। संघवाद की हिफाजत करना, जो कि हमारे संविधान की बुनियादी विशेषता है, तानाशाहीपूर्ण केंद्रीयकरण के खिलाफ संघर्ष का हिस्सा है।

महिलाओं का घटता दर्जा

2.57 महिलाओं को आर्थिक बदहाली की झोक झेलनी पड़ रही है। असंगठित क्षेत्र में, जहां ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, आय-हानि के शिकार होने वालों में महिलाओं का अनुपात कहीं ज्यादा है। मगनरेगा में कटौतियों की मार, गरीब ग्रामीण महिलाओं पर खासतौर पर ज्यादा पड़ी है, जिनके लिए यह कार्यक्रम जीवन रेखा है।

जैंडर गैप सूचकांक पर भारत की स्थिति, दुनिया भर में सबसे निचले स्तर पर है। रोजगार के मौकों का अभाव, महिलाओं को श्रम शक्ति से बाहर धकेल रहा है और यह तब हो रहा है, जब उन्हें मजदूरी तथा वैतनिक रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके विपरीत, बिना भुगतान के काम में, जिसमें घरेलू काम भी शामिल है तथा पारिवारिक उद्यमों में काम भी, भारी बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं पर, जिनको पितृसत्तात्मक नियम-आदेशों के चलते, घर संभालने की मुख्य जिम्मेदारी होती है, बढ़ती कीमतों की, पानी तथा बिजली पर वसूल किए जा रहे बढ़ते उपयोक्ता शुल्कों की, भारी मार पड़ी है। उन्हें अक्सर, अपने परिवारों का बचे रहना सुनिश्चित करने के लिए, खुद अपनी जरूरतों में से कटौतियां करनी पड़ी हैं। अकेली माताओं की तथा महिला-आश्रित परिवारों की दशा और भी खराब है। इन तबकों के लिए केंद्र सरकार की नीतियों में कोई ठोस मदद ही नहीं दी गयी है। महिलाओं को अपना मामूली जमा-जथा भी गिरवी रखना पड़ा है क्योंकि मुख्यत: उन्हें ही अपने घर चलाने के लिए, लुटेरे महाजनों तथा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन्स (एमएफआइ) से, ऊंची ब्याज दरों पर कर्जे लेने पड़े हैं।

2.58 इसी अवधि में महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में भारी बढ़ोतरी हुई है। अनेक मामलों में घोर क्रूरता की सबसे बर्बर करतूतें सामने आयी हैं। महामारी के दौर में, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा भी बढ़ गयी है। अनेक उदाहरणों में पीड़िताओं को ही दोष देने तथा लज्जित करने के मामले सामने आए हैं, जिनमें खासतौर पर भाजपा के नेताओं ने अपने बहुत ही आपत्तिजनक बयानों से, जुर्म को सही ठहराते हुए, पीड़िताओं को और सदमा पहुंचाया है। अधिकांश भाजपा-शासित राज्यों में तफ्तीश की घटिया प्रक्रियाएं और दोष सिद्धि की नीची दरें कुख्यात हैं। हैरान करने वाले तरीके से, पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए रखे गए फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है या उन्हें लैप्स हो जाने दिया जाता है।

2.59 भाजपा-आरएसएस और उनसे संबद्ध ताकतों द्वारा प्रतिगामी, मनुवादी विचारधाराओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है, जो पितृसत्तात्मक, सांप्रदायिक तथा मनुवादी आचारों को आगे बढ़ाती हैं और महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं में ही कैद करती हैं। ये रुख सीधे-सीधे उन नीतियों में प्रतिबिंबित होते हैं, जो महिलाओं को अपनी ही देह पर अधिकार से भी वंचित करने वाली दमनकारी आबादी नीतियां

थोपने की कोशिश करती हैं, धारा-498ए जैसे महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने वाले धर्मनिरपेक्ष कानूनों को कमजोर करती हैं, मर्जी की शादियों के खिलाफ सबसे हिंसक अभियान छेड़कर महिलाओं की स्वेच्छा का खात्मा करती हैं और ऐसी संस्कृतियों को संरक्षण देती हैं जो तथाकथित इज्जत के नाम पर, हत्याओं को सही ठहराती हैं। इस दौर में अल्पसंख्यक तथा दलित महिलाओं को खासतौर पर गंभीर रूप से पीड़ित किया गया है। इस तरह महिलाओं की समानता की लड़ाई आज, लैंगिक समानता के संबंध में भाजपा-आरएसएस के सिद्धांत तथा आचारों के खिलाफ संघर्ष के साथ सीधे-सीधे जुड़ गयी है।

सामाजिक न्याय पर हमले

2.60 बजाए इसके कि समता की संवैधानिक गारंटी तथा सामाजिक न्याय का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ा जाता, जनता के सामाजिक रूप से उत्पीड़ित तबकों को और ज्यादा अन्यायों व भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।

2.61 **दलित:** विभिन्न भाजपा सरकारों द्वारा आक्रामक तरीके से संविधानविरोधी, मनुवादी एजेंडा चलाए जाने के चलते, पिछली पार्टी कांग्रेस के बाद से दलितों की हालत बदतर हुई है। दलित शिक्षा, रोजगार तथा जीवनयापन के अवसरों से वंचित बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने, अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए, अपने वित्तीय साधन राज्यों के साथ साझा करने की जिम्मेदारी से खुद को बरी कर लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण, सरकारी विभागों में भर्तियों पर रोक ने, रोजगार के अवसरों को घटा दिया है। निजी क्षेत्र में आरक्षणों के लिए कानून बनाने के कोई प्रयास ही नहीं किए जा रहे हैं।

2.62 दलितों पर हमले कई गुना बढ़ गए हैं और खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों में ऐसा हुआ है। दलित महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ हिंसा, जिसकी द्योतक हाथरस की भयावह घटना थी, इसी सचाई को दिखाती है। भाजपा की सरकार ने उक्त घटना तथा पीड़िता के परिवार को दबाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जहां दलितों पर हमलों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है, इन मामलों में दोष सिद्धि की दरें नहीं बढ़ी हैं। विभिन्न दलित ग्रुपों के संघर्ष तथा प्रतिरोध के चलते, सरकार को कानून बनाना पड़ा है और अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण कानून को नरम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, अनकिया करना पड़ा है।

2.63 **आदिवासी:** आरएसएस, एक एकरूपीकृत हिंदू पहचान के अंतर्गत आदिवासियों को विलीन करने की अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। भाजपा-शासित राज्यों में आदिवासी इलाकों में ईसाइयों पर बढ़ते पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने वनाधिकार कानून के प्रावधानों को कमजोर किया है और आदिवासियों को उनके वैध हिस्से से वंचित कर रही है। वनाधिकार कानून के अंतर्गत आदिवासियों के दावों को अन्यायपूर्ण तरीकों से ठुकराया जा रहा है। ग्राम सभाओं के जरिए अपनी राय रखने के आदिवासियों के अधिकार को छीनने के जरिए, कारपोरेटों द्वारा उनके शोषण की इजाजत दी जा रही है। वनों का व्यापारीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है और यहां तक कि सैन्यीकरण भी किया जा रहा है। परियोजनाओं के नाम पर, हजारों हैक्टेयर वन भूमि को दूसरे उपयोगों की ओर मोड़ा जा रहा है। निजी कारपोरेटों को, वनों में प्रभूत मात्रा में मिलने वाले खनिज संसाधनों का शोषण करने की इजाजत दे दी गयी है। इन नीतियों के चलते, आदिवासियों के विस्थापन में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है। आदिवासी किसानों को, सरकार की किसानों से संबंधित किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और लघु वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए फंड, शर्मनाक तरीके से अपर्याप्त रहते हैं।

2.64 महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की चिंताओं को दूर करने में भाजपा सरकार की विफलता का आदिवासियों पर सत्यानाशी असर पड़ा है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों में उनका हिस्सा खासा बड़ा है। 95 फीसद से ज्यादा आदिवासी छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए साधन ही नहीं थे और केरल की एलडीएफ सरकार को छोड़कर, और किसी भी सरकार ने आदिवासी छात्रों के शिक्षा के कानूनी अधिकार की हिफाजत करने के लिए, व्यवस्थाएं ही नहीं की थीं। केंद्र सरकार, आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों का नियमित रूप से वितरण सुनिश्चित करने में विफल रही। नवउदारवादी नीतियों के चलते, शिक्षित आदिवासी युवाओं को रोजगार के अवसरों से वंचित किया जा रहा है, पदों के बैकलॉग को नहीं भरा जा रहा है और भेदभाव के चलते, सरकारी नौकरियों में पदोन्नतियों से वंचित रखा जा रहा है।

2.65 **ओबीसी:** भाजपा सरकार अपने पक्षपाती स्वार्थों के चलते, 2022 की आम जनगणना के साथ एक जाति गणना कराने की मांग को मानने से इंकार कर रही है। ओबीसी के संबंध में कोई डॉटा उपलब्ध न होने को देखते हुए, यह जरूरी है कि ओबीसी की विभिन्न श्रेणियों की सटीक गिनती हमारे पास हो। केंद्र सरकार ने एक

कानून बनाकर, भारत के राष्ट्रपति को यह निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया था कि किस समुदाय को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह हमारे देश के संघीय ढांचे पर हमला करता है और राज्यों से, आरक्षण के काम के लिए ओबीसी की निशानदेही करने के उनके अधिकार छीनता है। जनता के दबाव और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के भी चलते, सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है।

2.66 **विकलांग जन:** कोविड-19 का विकलांग जन की जिंदगियों पर तबाहकारी असर पड़ा है। भोजन व नियमित जीवन सहायक स्वास्थ्य रक्षा तक पहुंच, रोजगार हानि आदि, बड़ी भारी चुनौतियां रही हैं। विकलांग बच्चों का उल्लेखनीय हिस्सा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच नहीं हासिल कर पाया है। विकलांग महिलाओं तथा लड़कियों को बढ़ी हुई हिंसा तथा उत्पीड़न को झेलना पड़ा है। केंद्र सरकार ने 1000 रु0 के जिस एकमुश्त मामूली सहायता का एलान भी किया था, वह भी पूरी विकलांग आबादी के सिर्फ 3.8 फीसद हिस्से लिए ही थी।

2.67 विकलांग अधिकार कानून-2016 में शामिल दंडात्मक प्रावधानों को कमजोर करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध हुआ और सरकार को जल्दी-जल्दी अपने पांव पीछे खींचने पड़े। बहरहाल, विकलांगों की जरूरतें पूरी कर रही विभिन्न संस्थाओं का विलय/ क्लस्टर करने के कदम का, पुनर्वास सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। आवंटनों में कटौतियां लगातार जारी रहना, आरपीडी कानून में प्रतिष्ठापित अधिकारों को एक सचाई बनाने की प्रक्रिया में और भी बाधक हो रहा है। बजटीय अनुमोदन का यह अभाव, 2017 के मानसिक स्वास्थ्य रक्षा कानून के मामले में भी एक बाधा है।

2.68 **यौन अल्पसंख्यक:** ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) कानून, 2020 में संशोधन करने की जरूरत है, ताकि यह कानून इस समुदाय की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित कर सके। उनके लिए ओबीसी के कोटा में से आरक्षण मुहैया कराने का प्रस्ताव, अनुपयुक्त है। उनके लिए क्षैतिज आरक्षण मुहैया कराए जाने की जरूरत है। 2020 का सरोगेसी (नियमन) कानून और 2021 का असिस्टिव रिप्रोडक्शन टैक्नोलॉजी (नियमन) विधेयक, एलजीबीटीक्यूआइ समुदायों के व्यक्तियों के साथ भेदभाव करते हैं, क्योंकि ये कानून उन्हें माता-पिता बनने के अधिकार से वंचित करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक संबंधों को आपराधिकता मुक्त किया जा चुका है, फिर भी यौन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी है।

संवैधानिक प्राधिकरणों का अवमूल्यन

2.69 संसद दिन-ब-दिन भाजपा के 'बहुमत का आतंक' प्रदर्शित करने के मंच में तब्दील होती जा रही है। तमाम तरह की संसदीय प्रक्रियाओं और संसदीय कमेटी द्वारा जांच-पड़ताल जैसी कवायदों को दरकिनार करते हुए क़ानून बनाए जा रहे हैं। ज़्यादातर क़ानून हंगामे के बीच बिना किसी विचार-विमर्श और बहस के पारित करा लिए जाते हैं। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों को बहुत कमज़ोर आधारों पर 2021 के शीत सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इसने, उच्च सदन में भाजपा की आसान जीत को सुनिश्चित किया। विपक्षी सांसदों को दंडात्मक कार्रवाइयों के जरिए चुप कराने की कोशिशें हो रही हैं। सार्वजनिक महत्व या जनता के सरोकार के किसी भी मुद्दे पर, संसद में बहस-मुबाहिसा नहीं होने दिया जाता।

2.70 मोदी सरकार संसद के प्रति अपनी जवाबदेही से पीछा छुड़ा रही है। हमारी संवैधानिक योजना में संसद, जनता की संप्रभुता को लागू करने की एक अहम कड़ी है। कार्यपालिका (सरकार) संसद के प्रति जवाबदेह है और विधि-निर्माता (सांसद) जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जब संसद अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करती, तब यह कड़ी बाधित हो जाती है, जिससे जन-संप्रभुता की केन्द्रीयता के केन्द्रीय महत्व का क्षरण होता है।

2.71 **न्यायपालिका:** कई अवसरों पर न्यायिक उद्घोषणाएं न्याय के पक्ष में होने से ज़्यादा सरकार के पक्ष में रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद पर एक निर्णय सुनाया लेकिन न्याय नहीं किया। कई बहुत अहम मुद्दे अधर में लटके हुए हैं; आर्टिकल 370, 35 ए रद्द किए जाने के क़ानून की और जम्मू और कश्मीर राज्य के विघटन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देनेवाली, सीएए के अमल को, चुनावी बांड्स और कई दूसरी चीजों को चुनौती देनेवाली याचिकाएं, तक़रीबन 3 सालों से लंबित हैं।

2.72 **चुनाव आयोग:** चुनाव आयोग को, सभी उम्मीदवारों के लिए बराबरी का मैदान सुनिश्चित करते हुए 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' कराने का संवैधानिक शासनादेश प्राप्त है। लेकिन, चुनाव आयोग की कार्य-प्रणाली से दिन-ब-यह एहसास अधिक गहरा होता जाता है कि वह सत्ताधारी पार्टी को ग़लत तरीक़े से लाभ पहुंचा रहा है। शुरूआत में चुनावी वित्तपोषण की पारदर्शिता को कमतर करनेवाले चुनावी बांड्स पर

गंभीर आपत्तियां उठाने के बाद, आगे चलकर चुनाव आयोग ने अपनी राय को काफी हद तक बदल डाला। इनमें से 80 प्रतिशत बांड्स भाजपा हासिल करती है और धनशक्ति का ज़बरदस्त प्रदर्शन करती है, जिससे बराबरी की जमीन कहीं रह ही नहीं जाती है, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने के हालिया फैसले में गुप्त मतदान करने के मतदाता के अधिकार में दखल दिए जाने की पूरी आशंका निहित है।

2.73 **स्वतंत्र जांच एजेंसियां:** केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक औज़ार की तरह काम कर रहे हैं।

2.74 मिसाल के लिए, ईडी के छापे (जिन्हें आधिकारिक तौर पर 'सर्च एण्ड सीज़र' कहा जाता है) 2013 में जहां 62 थे, वहीं 2019 में दस गुना बढ़कर 670 हो गए। मार्च 2011 से जनवरी 2020 के बीच ईडी ने 1569 जांचों के सिलसिले में 17,000 छापे मारे। लेकिन, महज़ 9 अपराध साबित किए जा सके, वह भी ज़्यादातर कम महत्व के मामलों में। साफ़ है कि यह सरकार से असहमति और विरोध प्रदर्शित करनेवालों को उत्पीड़ित करने और धमकाने का एक साधन है।

2.75 विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ सीबीआइ की भूमिका इस स्तर तक पहुच गई है कि 9 राज्यों—आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, छतीसगढ़ और मिजोरम—ने बिना राज्य सरकार की सहमति हासिल किए, अपने-अपने राज्यों में सीबीआइ द्वारा जांच किए जाने की आम सम्मति वापस ले ली है।

2.76 **मीडिया:** इन वर्षों में, जनता तक खबरों और सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भाजपा और उसकी सरकार ने मीडिया पर, जो कि बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट घरानों की मिल्कियत में है, अपना शिकंजा कसा है। हालात ऐसे हैं कि कुछ सम्मानजनक अपवादों को छोड़कर, मीडिया को आम तौर पर जन-धारणा में 'गोदी मीडिया' के रूप में देखा जाता है।

2.77 भाजपा और उसकी सरकार के एजेंडा को आगे बढ़ाने, जनता की मुश्किलों के यथार्थ को धुंधला करने और प्रधानमंत्री मोदी की विराट छवि बनाने के लिए

डराने-धमकाने समेत, तमाम तरह के उपायों पर अमल किया जा रहा है।

2.78 वे सभी विरोधी विचार जो जनता से, उसकी आजीविका और पीड़ाओं से जुड़े असली मुद्दों को सामने लाते हैं, उन्हें राष्ट्रविरोधी करार किया जाता है और पत्रकारों की अंधाधुंध तरीक़े से यूएपीए/राजद्रोह जैसे काले क़ानूनों के तहत गिरफ़्तारी होती है।

2.79 **राजनीतिक भ्रष्टाचार को क़ानूनी वैधता:** चुनावी बॉण्ड योजना ने राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़े पैमाने पर ग़ैर-पारदर्शी चुनावी वित्तपोषण को बढ़ावा दिया है। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत बॉण्डों को भाजपा ने भुनाया है। 2018-19 में भाजपा ने इस तरह 1450 करोड़ रुपये हासिल किए। 2019-20 में उसने 2,555 करोड़ रु0 हासिल किए, जो बिके हुए कुल चुनावी बॉन्डों का 76 प्रतिशत है। अब तक बिके हुए चुनावी बॉन्डों का कुल मूल्य 7380.64 करोड़ रुपये है।

2.80 महामारी के शुरू होते ही पीएम केयर नामक एक नया फंड स्थापित किया गया। इसे एक निजी ट्रस्ट बताया गया, बावजूद इसके कि इसके ट्रस्टी प्रधान मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्री थे और यह पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहा था। सभी सरकारी कर्मचारियों को एक दिन का वेतन दान करने के लिए सरकारी आदेश दिए गए। सरकार ने इस फंड में दिए गए योगदान को हर तरह के टैक्स से राहत दे दी। कॉर्पोरेट घरानों को क़ानूनी कॉर्पोरेट सोशल रीस्पान्सिबिलिटी फंड से इस फंड में दान करने की इजाज़त दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अच्छी-खासी राशि देने का निर्देश मिला। इन सरकारी दिशा-निर्देशों के बावजूद, यह एक निजी ट्रस्ट बना हुआ है। इसका न तो ऑडिट हो सकता है, न ही यह जवाबदेह और पारदर्शी है। कितना धन इकट्ठा हुआ, वह कहां जा रहा है, सब एक रहस्य है।

2.81 राजनीतिक वित्तपोषण के बदले कॉर्पोरेट्स को दी गई छूटें, मोदी सरकार के अधीन दरबारी पूंजीवाद का एक ज्वलंत नमूना हैं। इस सरकार के पिछले 7 सालों में इनके दरबारी कॉर्पोरेट्स द्वारा लिए गए 10.72 लाख करोड़ के ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इसके नतीजे के तौर पर भाजपा के पास जो धनशक्ति आई है, वह सभी उम्मीदवारों के लिए उस बराबरी की जमीन को पूरी तरह से नष्ट कर चुकी है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करती है।

जम्मू और कश्मीर

2.82 2019 के चुनावों के बाद मोदी सरकार ने जो पहला क़दम उठाया, वह था, भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 और 35 ए को रद्द करना, जम्मू और कश्मीर राज्य का विघटन और उसकी जगह दो केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना। इस तरह इसने अकेले मुस्लिम बहुल राज्य को निशाना बनाने और भारतीय संविधान द्वारा इस राज्य को अधिग्रहण के समझौते के तहत दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करने की अपनी मांग को लागू करवाने की, आरएसएस की कार्यसूची पर अमल किया। 2019 में जम्मू और कश्मीर में संसद के चुनाव कराए गए, पर राज्य की विधान सभा के चुनाव नहीं कराए गए। इसने इस चीज के लिए हालात तैयार किए कि राज्य की सीमाओं में बदलाव करने के लिए विधान सभा की सम्मति न लेकर, उसकी अनुपस्थिति में राज्यपाल की सम्मति को उसका स्थानापन्न बना दिया जाए। इसके लिए राज्य में ज़बरदस्त सुरक्षा लॉकडाउन लगाया गया, यूएपीए/एनएसए/पीएसए जैसे काले क़ानूनों के तहत हजारों लोगों को नज़रबंद किया गया, जिनमें पूर्व मुख्य मंत्री और राजनीतिक दलों के नेतागण शामिल थे।

2.83 कड़े सुरक्षा लॉकडाउन ने यह सुनिश्चित किया कि आवागमन के सार्वजनिक साधनों समेत रोजमर्रा की तमाम गतिविधियां ठप्प पड़ जाएं। राज्य की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। लंबे समय तक कर्फ्यू लगा रहा। इन उपायों ने राज्य की जनता को और अलगाव में धकेला। मिलिटेंसी के कारण मासूम लोगों की हत्या के हालिया उफान और बेहद क्रूर बलप्रयोग तथा मनमानी गिरफ्तारियों ने, और भी अलगाव पैदा किया है।

2.84 सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल 370 और 35 ए के निरसन, 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन क़ानून' के जरिए राज्य के विघटन की संवैधानिक वैधता को दी गई न्यायिक चुनौतियां, अगस्त 2019 से सर्वोच्च न्यायालय में अनसुनी पड़ी हैं। इस बीच सरकार लगातार अपरवर्तनीय निर्णय ले रही है, जैसे—जम्मू और कश्मीर विकास क़ानून में संशोधन करके ग़ैर-स्थायी बाशिंदों को जमीन खरीदने की इजाज़त देना; अधिवास क़ानून को बदलना; राज्य स्तरीय वैधानिक आयोगों को खत्म करना।

2.85 केंद्र सरकार ने एक 'जे एण्ड के डिलिमिटेशन कमीशन' गठित किया है जिसकी सिफारिशें पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अतार्किक हैं। उन्होंने जम्मू प्रांत में 6 सीटों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है जबकि कश्मीर घाटी में 1 सीट की बढ़ोतरी का। 2011 की जनगणना के अनुसार, कश्मीर की आबादी 68.8 लाख है जबकि जम्मू की 53.5 लाख। एक सही परिसीमन के अंतर्गत 90 सीटों की विधान सभा में कश्मीर को 51 सीटें मिलनी चाहिए थीं और जम्मू को 39। इसके बजाए, प्रस्ताव क्रमश: 47 और 43 सीटों का है। यह प्रस्ताव साफतौर पर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है और इसके पीछे जम्मू और कश्मीर के जनसांख्यिकीय चरित्र तथा संघटन को बदलने का लक्ष्य है।

2.86 पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य और उसके विशेष दर्जे को फिर से बहाल करने की ज़रूरत है; सभी राजनीतिक तौर पर नज़रबंद लोगों को रिहा किया जाना चाहिए; मीडिया तथा संचार के अन्य रूपों पर लगी पाबंदियां और इंटरनेट शट्डाउनों को खत्म किया जाना चाहिए; अंधाधुंध गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए, खासकर युवाओं की।

पूर्वोत्तर

2.87 भाजपा-आरएसएस ने पिछले कुछ सालों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए असम सरकार पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल किया है। मिज़ोरम के अपवाद को छोड़ दें तो, इस क्षेत्र के तमाम राज्यों की सरकारें भाजपा या उसके गठबंधन के हाथ में हैं। असम में भाजपा की सरकार के तहत मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए, हालात का साम्प्रदायीकरण करने की सुनियोजित कोशिशें हुई हैं। सीएए-एनआरसी को इस मक़सद से इस्तेमाल किया गया। बंगाली-भाषी मुसलमान किसानों को, उनकी जोत वाली जमीनों से बेदखल करने की घटनाएं हुई हैं। भाजपा अपनी पकड़ को मज़बूत बनाने के लिए राज्यों के बीच के सीमा-विवाद का इस्तेमाल कर रही है।

2.88 आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ऐक्ट (आफस्पा) दशकों से अनेक राज्यों में लागू है। नगालैंड में, जहां 2016 में घोषित हुआ फ्रेमवर्क समझौता क्रियान्वित नहीं हुआ है, सेना ने 14 मासूमों की जान ले ली, जो इस काले क़ानून द्वारा मिली हुई दंड-मुक्ति का नमूना है। आफस्पा को हटाया जाना चाहिए।

नई शिक्षा नीति

2.89 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, सलाह-मशवरे और बहस की आवश्यक प्रक्रिया तथा राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के संवैधानिक शासनादेश के पालन के बगैर पारित कर दिया गया। सरकार द्वारा नियुक्त एक कमेटी ने, जिसमें बड़ी संख्या में आरएसएस से सम्बद्ध लोग और संस्थाएं शामिल थीं, मसौदा दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया। यह मसौदा व्यापक सलाह-मशवरे और बहस के बीच लाए जाने के बजाए एकतरफा ढंग से पारित और घोषित हो गया।

2.90 नई नीति का अंत:सूत्र है, हिंदुत्व के एजेंडा को शिक्षा में इस रूप में बढ़ावा देना कि वह देश के युवाओं की चेतना को उसके पक्ष में गढ़ सके। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और शिक्षण की पद्धतियां—सभी इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिहाज से तोड़े-मरोड़े गए हैं। इस प्रक्रिया में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों पर, हर तरह के दंड-भय से मुक्त, हमले किए गए हैं।

2.91 ज़ोर शिक्षा के व्यावसायीकरण, केन्द्रीकरण और साम्प्रदायीकरण पर है। इन मकसदों को हासिल करने की कोशिश में लोकतान्त्रिक और वैज्ञानिक तथा सर्वजनसुलभ शिक्षा के उसूलों की जड़ों पर प्रहार किया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा, जो ज़्यादातर निजी कॉर्पोरेट्स द्वारा मुहैया कराई जाती है, की ओर बढ़ना विद्यार्थियों के बहुत बड़े हिस्से के शिक्षा-बदर हो जाने का कारण बना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बच्चों की आरंभिक देख-रेख और छह साल पूरे होने से पहले की पाठशाला से संबंधित, वैज्ञानिक अवधारणा को तिलांजलि दे दी है। निजी विश्वविद्यालय, संस्थान, ट्यूटोरियल और दक्षता विकास केंद्र बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये शिक्षा को ऐसे माल में तब्दील कर रहे हैं, जो जनता के एक बहुत बड़े हिस्से की पहुंच से बाहर होगा। एनईईटी (नीट) अपने वर्तमान स्वरूप में अन्यायपूर्ण है और राज्यों, ग्रामीण विद्यार्थियों, क्षेत्रीय भाषाई समूहों तथा वंचित तबकों के हितों के खिलाफ़ है।

2.92 राज्य सरकारों और स्वायत्त संस्थाओं, जिनमें विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, की भूमिका का अवमूल्यन करते हुए केंद्र सरकार इन्हें सीधे नियंत्रित और नियमित करेगी। विद्यालयों और राज्य स्तरीय संस्थाओं को संचालित और नियमित करने तथा उनकी कार्यप्रणाली तय करने के राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है।

2.93 इस नीति के तहत शिक्षा की अंतर्वस्तु सोचे-समझे तरीक़े से, विवेक और बुद्धि पर आधारित ज्ञान-पिपासा की जड़ें खोदती है। रूढ़िवाद, अंधविश्वास, अबुद्धिवाद और अविवेक को बढ़ावा देकर, वैज्ञानिक चेतना को दरकिनार किया गया है। हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति युवाओं की चेतना को सुदृढ़ करने के बजाए, ध्यान सांप्रदायिक हिंदुत्व एजेंडा के विचारों को आगे बढ़ाने पर, भारत के समृद्ध इतिहास की जगह हिंदू मिथकों को और समन्वयात्मक भारतीय दर्शन की विभिन्न धाराओं की जगह हिंदू धर्मशास्त्र को रख देने पर है।

2.94 इनका नतीजा यह होगा कि भारतीय शिक्षा में परिमाण, गुणवत्ता और समता का संतुलन, जो हमेशा से कमज़ोर और भुरभुरा था, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।

2.95 हमारी शिक्षा नीति में आनेवाले इन दूरगामी बदलावों का प्रतिरोध करने के लिए, शिक्षा से जुड़े हुए सभी तबकों और बौद्धिकों को एकताबद्ध करनेवाले एक व्यापक संघर्ष को मज़बूती देनी होगी।

2.96 **तर्क और विवेक पर हमले:** हिंदुत्व की विचारधारा अवैज्ञानिक होने के कारण तर्क और विवेक, दोनों पर हमले करती है। रूढ़िवाद, अंधविश्वास और पिछड़ेपन का प्रसार उन हिंदू मिथकों के सहज आत्मसातीकरण में मदद करता है, जिन्हें उसके बाद वास्तविक इतिहास के रूप में अधिकाधिक आगे बढ़ाया जा सकेगा। लोगों के बीच अंधविश्वासों को दिया जानेवाला बढ़ावा, उन्हें अवैज्ञानिक और अविवेकपूर्ण विमर्शों के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाता है। यह वैज्ञानिक चेतना और विवेक पर आघात करता है।

2.97 नई शिक्षा नीति में इस तरह के सोच को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ, भारत के सभी सांस्कृतिक और शोध संस्थान आरएसएस के तत्वों द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं और लगातार हिंदुत्व एजेंडा को आगे बढ़ाने की खातिर भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। संस्कृति का एकरूपीकरण हिंदुत्व विचारधारा और सोच के प्रसार के लिए अत्यावश्यक है। विवेक को अविवेक से और तर्कवाद को अतार्किकता से प्रतिस्थापित करना, एक ऐसी हानिकारक क़वायद है जो लोगों को वैज्ञानिक नज़रिये और विमर्श से वंचित कर देती है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

2.98 वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण देश उग्र जलवायु प्रभावों को झेलता रहा है। अतिवर्षा के कारण विशाल हिस्सों में ऐसी बाढ़ें आई हैं, जिनसे फसलों और ढ़ांचागत सुविधाओं का बड़ा नुकसान हुआ है; शहरी बाढ़ भी एक आम बात हो चली है। किनारों के कटाव और समुद्र के स्तर के बढ़ने से तटीय क्षेत्रों और ज़िंदगियों और मछुआरों तथा किसानों की आजीविका, गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। खराब तरीक़े से प्लान की गई और बनाई गई ढांचागत परियोजनाओं के चलते, नाजुक हिमालयी क्षेत्र में जो नुकसान हुए, उनसे यह समस्या द्विगुणित हो गई है।

2.99 जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। उल्टे, इस सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित क़ानूनों को कमज़ोर करने और उन्मूलित करने का ही काम किया है। एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को कमज़ोर करना, इंडियन फारेस्ट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन और माइन्स एंड मिनरल एक्ट में पहले किये गए संशोधन—ये सभी भारत के वनों के व्यावसायीकरण और निजीकरण तथा अंधाधुंध तरीक़े से माइनिंग और ढांचागत परियोजनाओं को अनुमति देने की दिशा में निर्देशित हैं। यह पर्यावरण के लिए और आदिवासियों तथा अन्य वनवासियों की ज़िंदगी और आजीविका के लिए, बेहद घातक सिद्ध होने वाला है। वनों के प्रति इस प्रतिगामी रवैये के कारण ही भारत ने उन सौ से ऊपर देशों में अपने को शामिल नहीं किया जो सीओपी-26 में 2030 तक वनोन्मूलन समाप्त करने की योजना का हिस्सा बने। हालात की गंभीरता के मद्देनज़र, एक ऐसे प्रतिनिधि-मूलक राष्ट्रीय निकाय की ज़रूरत है जिसमें राज्य सरकारें, राजनीतिक पार्टियां, विशेषज्ञ और अन्य हितधारक शामिल हों और जिसका काम हो, जलवायु के प्रभावों से तत्काल निपटने के लिए योजनाएं, कार्यक्रम बनाना और वित्तीय आवंटन करना।

विदेश नीति

2.100 **अमरीकी साम्राज्यवाद का अधीनस्थ सहयोगी:** मोदी सरकार ने भारत की समय-सिद्ध स्वतंत्र विदेश नीति को तिलांजलि दे दी है। भारत को अब एक अधीनस्थ सहयोगी बनाकर रख दिया गया है और सभी वैश्विक मामलों में अमरीकी साम्राज्यवाद का एवजीदार बन गया है।

2.101 प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शिखर बैठकों में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने इस्राइल के साथ अपने रणनीतिक गठजोड़ को अधिक सुदृढ़ किया है और फिलिस्तीनी हितों और संघर्षों के साथ पारंपरिक ऐतिहासिक एकजुटता और समर्थन को कमतर किया है। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने बिना फिलिस्तीन का दौरा किए, इस्राइल का राजकीय दौरा किया। अमरीका-इस्राइल-भारत की साठ-गांठ बढ़ी है।

2.102 हमारी 22 वीं कांग्रेस के बाद के समय में भारत ने अमरीका के साथ अपनी रणनीतिक और सैन्य सांठ-गांठ को और मज़बूत किया है। अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को मिलाकर बने 'क्वाड' की शुरूआत 2018 में सचिव स्तरीय बैठकों के साथ हुई। 2019 में इसे विदेश मंत्रियों के स्तर तक उन्नत कर दिया गया, और बाद में भारत, क्वाड को हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन को अलग-थलग करने के प्रति लक्ष्यबद्ध एक सक्रिय रणनीतिक और सैन्य गठबंधन में रूपांतरित करने की, अमरीकी साम्राज्यवाद की कोशिशों का हिस्सा बन गया।

2.103 भारत और अमरीका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच नियमित बैठकों का 2+2 फॉर्मूला 2018 में ही शुरू हुआ। 2019 में 2+2 बैठक से इन्डस्ट्रिअल सीक्यूरिटी ऐनेक्स (आईएसए) समझौता निकला जो परिष्कृत अमरीकी सैन्य प्रौद्योगिकी को भारत को हस्तांतरित करने की राह हमवार करता है। रणनीतिक सैन्य सहकार के तीन बुनियादी समझौतों में से दो समझौते पहली मोदी सरकार के दौर में हस्ताक्षरित हुए—2016 में एलईएमओए और 2018 में सीओएमसीएएसए। तीसरे और अंतिम समझौते, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट (बीईसीए) पर दस्तखत 27 अक्टूबर 2020 को हुए और इससे लंबे समय के सैन्य और रणनीतिक सहकार का पूरा खाका तैयार हो गया।

2.104 बेका (बीईसीए) में ऐसी बेहद चिंताजनक बातें हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए घातक हैं। यह दोनों सेनाओं के बीच भू-राजनीतिक खुफ़िया जानकारियों को साझा करने की व्यवस्था करता है। यह दिल्ली स्थित भारतीय नौसेना के मुख्यालय का, हवाई स्थित अमरीकी एशिया प्रशांत कमांड मुख्यालय के साथ स्थायी संपर्क भी क़ायम करता है।

2.105 भारत हवाई जहाज और हेलिकाप्टर समेत अधिक अमरीकी सैन्य उपकरण

खरीदने के लिए राज़ी हो गया है। भारत अपने सैन्य उपकरणों के लिए, अमरीका और इस्राइल पर पूरी तरह से निर्भर होता जा रहा है।

2.106 **भारत-चीन संबंधः** भारत-चीन सैन्य गतिरोध ऐसी शारीरिक झड़प का कारण बना जिसमें दोनों तरफ़ जानें गयीं। 15 जून 2020 को 20 भारतीय जवानों ने अपनी ज़िंदगियां गवाईं। ऐसी हिंसक झड़प भारत-चीन के लाइन ऑफ़ एक्चुअल कण्ट्रोल पर 45 सालों के बाद हुई। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई यह घटना, अमल और चैन में गंभीर खलल की सूचक थी।

2.107 पार्टी ने भारत सरकार द्वारा अपनाए गए नजरिए और रुख का समर्थन किया। भारत द्वारा जारी किए गए वक्तव्य का कहना था कि, इस पर सहमति बनी कि पूरी स्थिति को ज़िम्मेदार तरीक़े से संभालना होगा, और दोनों पक्ष शांति पर अमल करेंगे। कोई पक्ष मामले को भड़काने वाली कार्रवाई नहीं करेगा, और इसके बजाए वे द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांति सुनिश्चित करेंगे।

2.108 एलएसी के निर्धारण पर स्पष्टता की कमी के कारण इस तरह के विवाद और गतिरोध खड़े होते रहे हैं। सरहद पर शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन, दोनों का एलएसी के निर्धारण पर सहमत होना जरूरी है।

2.109 हमारी पार्टी और कम्युनिस्टों को 'चीन-समर्थक' बताते हुए, दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा जो कम्युनिस्ट-विरोधी प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, उसका प्रतिवाद करने के लिए पार्टी को सजग रहना होगा। सोशल मीडिया पर पहले चलाए गए ऐसे अभियान, छेड़छाड़ कर के बदली गयी तस्वीरों और सफेद झूठों का इस्तेमाल करनेवाली फेक न्यूज़ साबित हो चुके हैं।

बढ़ते संघर्ष

2.110 जनता के विशाल संगठित तथा स्वत:स्फूर्त संघर्ष, हमारी 22वीं कांग्रेस के बाद के दौर की खास बात रहे हैं। पार्टी ने इन संघर्षों को सक्रिय रूप से समर्थन दिया है और उनके साथ एकजुटता जतायी है। ये संघर्ष हैं—सीएएविरोधी संघर्ष, किसान संघर्ष, ट्रेड यूनियन हड़तालें तथा कार्रवाइयां। इन संघर्षों में महिलाओं की बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी रही है। सीएए-विरोधी शाहीनबाग प्रोटैस्ट, इसकी खास मिसाल है।

2.111 **सीएएविरोधी संघर्ष :** सीएए कानून बनने के फौरन बाद, नागरिकता की संवैधानिक परिभाषा के इस नंगे उल्लंघन के खिलाफ स्वत:स्फूर्त संघर्ष सामने आ गए। सीएए को उचित ही, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत तथा सांप्रदायिक सौहार्द्र के सिद्धांत की जड़ों को ही खोदने के कदम के रूप में देखा जा रहा था। हिंदुत्ववादी पलटन के आक्रामक हमलों का प्रतिरोध करते हुए युवा, इन संघर्षों में अगली कतार में थे। हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक गिरोहों ने जब अनेक शिक्षा परिसरों में हिंसक शारीरिक हमले किए, पुलिस ने नंगई से इन हमलावर गिरोहों का साथ दिया। जन आंदोलनों और महिलाओं, बुद्धिजीवियों, अकादमिकों तथा एनजीओज़ के विशाल हिस्से की भागीदारी के साथ, ये विरोध कार्रवाइयां देश भर में फैल गयीं। इस सतत संघर्ष में सुर्खी बना, दिल्ली में शाहीन बाग में दिन-रात का महीनों लंबा विरोध प्रदर्शन। इसी प्रकार के शांतिपूर्ण विरोध धरने देश भर में सैकड़ों जगहों पर सामने आ गए।

2.112 महामारी के आने और 2020 के मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा से, सीएएविरोधी आंदोलन थम गया। बहरहाल, मोदी सरकार के हिंदुत्ववादी एजेंडा के खिलाफ यह पहला ही गंभीर जनांदोलन था।

2.113 **ऐतिहासिक किसान आंदोलन:** संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों का एक साल लंबा ऐतिहासिक संघर्ष विजयी हुआ। उसने मोदी सरकार को उन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया, जिन्हें शासक वर्ग ने कृषि पर कारपोरेटों का नियंत्रण कायम कराने के लिए गढ़ा था, ताकि वे अपने मुनाफों को अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा सकें।

2.114 दसियों हजार किसान स्त्री-पुरुषों ने 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर पांच अलग-अलग ठियों पर राजमार्गों पर धरना दे दिया। वे पुलिस के दमन का सामना करते हुए, दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचे थे। इस अनोखे संघर्ष में मुख्यत: पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से लाखों किसान शामिल हुए और उत्तराखंड, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से गोलबंदियां हुईं। अन्य राज्यों में जनविरोध कार्रवाइयां तथा एकजुटता कार्रवाइयां हुईं। यह संघर्ष एक साल से ज्यादा चला। इस संघर्ष के दौरान 715 किसानों की गंभीर सर्दी, बीमारी तथा दुर्घटनाओं के चलते मौत हो गयी। इस दौरान तीन सफल देशव्यापी बंद आयोजित किए गए—8 दिसंबर 2020 को, 26

मार्च 2021 को और 27 सितंबर, 2021 को। इस संघर्ष में मजदूरों-किसानों की संयुक्त कार्रवाइयां सामने आयीं। किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का अपना पहला आह्वान 26 नवंबर 2020 के लिए ही किया था, जिस दिन के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था।

2.115 हालांकि इस लंबे संघर्ष के दबाव में, विधानसभाई चुनावों के चक्र से ऐन पहले, कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है, फिर भी सभी फसलों तथा सभी किसानों के लिए, एक कानूनी हकदारी के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य की महत्वपूर्ण मांग पूरी नहीं हुई है। इस संबंध में विवरण तय करने के लिए एक कमेटी के गठन का वादा किया गया है, लेकिन अब तक उसका गठन नहीं हुआ है।

2.116 यह सफल ऐतिहासिक संघर्ष, सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ और बेहतर जीवन के लिए अपने संघर्षों में, जनता के अन्य सभी तबकों को प्रेरणा देता है।

2.117 **मजदूरों के संघर्ष:** मोदी के नेतृत्ववाली भाजपा सरकार ने, सभी मौजूदा श्रम कानूनों को निरस्त करते हुए, संसद में चार लेबर कोड पारित कराए हैं; साधारण बीमा का निजीकरण सुगम बनाने का कानून बनाया है; रक्षा उत्पादन से जुड़े सभी उद्योगों समेत रक्षा क्षेत्र में, हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है। उसने नेशनल एसेट मोनिटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) बनायी है, जिसे बड़ी मेहनत से इसके लिए ही गढ़ा गया है कि सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नियंत्रण वाली, देश की ढांचागत परिसंपत्तियों और खनिज संसाधनों को, करीब-करीब मुफ्त निजी हाथों में सौंप दिया जाए।

2.118 मजदूर वर्ग, राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रवार, दोनों ही स्तरों पर एकजुट संघर्षों के जरिए, इन नीतियों का लगातार विरोध करता आया है। 22वीं पार्टी कांग्रेस के बाद के इस पूरे दौर में, मजदूर वर्ग अनवरत संघर्ष की मुद्रा में रहा है। इसमें महामारी का और 2020 के मार्च से शुरू हुए उससे जुड़े लॉकडाउनों तथा पाबंदियों का, दौर भी शामिल है।

2.119 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के झंडे तले, जिसमें 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें तथा करीब-करीब स्वतंत्र क्षेत्रवार यूनियनों शामिल हैं, तीन देशव्यापी आम हड़तालें

संगठित की गयी हैं—8-9 जनवरी 2019, 8 जनवरी 2020 और 26 नवंबर 2020। चौथी आम हड़ताल, 28-29 मार्च, 2022 को होनी है।

2.120 इन आम हड़तालों के अलावा इसी दौर में और इसमें महामारी का दौर भी शामिल है, कोयला, इस्पात, बैंक तथा बीमाकर्मियों, मैडीकल रिप्रेजेंटेटिवों, दूर संचार, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार कर्मचारियों, योजनाकर्मियों, निर्माण मजदूरों, निजी संगठित क्षेत्रों के मजदूरों ने हड़ताली संघर्ष किए हैं। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के इस्पात मजदूर, निजीकरण के खिलाफ लंबे संघर्ष पर रहे हैं। वे व्यापक जनमत को गोलबंद करने में कामयाब रहे हैं, जिसने गैर-वामपंथी, सत्ताधारी वर्गीय पार्टियों को, जो बराबर निजीकरण के समर्थन में रही हैं, इसके लिए मजबूर कर दिया है कि उनके संघर्ष को खुलकर समर्थन दें और निजीकरण का विरोध करें।

2.121 **संयुक्त मजदूर-किसान संघर्ष:** इस दौर में मजदूरों तथा किसानों के आंदोलन साथ आए हैं और संयुक्त कार्रवाइयों के जरिए उनकी बढ़ती सह-गति देखने को मिली है। 5 सितंबर 2018 को दिल्ली में एक विराट मजदूर किसान संघर्ष रैली हुई थी, जिसमें 2 लाख से ज्यादा मजदूरों, किसानों तथा खेत मजदूरों ने हिस्सा लिया था। उससे पहले, 9 अगस्त 2018 को 10 लाख लोगों ने देशव्यापी जेल भरो संघर्ष में हिस्सा लिया था।

2.122 संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच ने कृषि कानूनों के निरस्त किए जाने, एमएसपी दिए जाने तथा बिजली संशोधन विधेयक वापस लिए जाने की मांगें उठायीं और एसकेएम ने मजदूर वर्ग की मांगें उठायीं, जिनमें लेबर कोडों के निरस्त किए जाने तथा निजीकरण को रोके जाने की मांगें शामिल हैं। इसने, मजदूरों तथा किसानों के बीच की एकता को मजबूत करने के लिए वातावरण बनाया है।

2.123 **वर्गीय निहितार्थ:** इस संघर्ष के दौरान, एक ओर बड़े पूंजीपति वर्ग, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के साथ मिलीभगत है और दूसरी ओर समूची किसान जनता—जिसमें धनी किसानों के हिस्से भी शामिल हैं—के बीच, नये वर्गीय टकराव उभरकर सामने आए हैं।

2.124 दूसरे, सत्ताधारी वर्ग के साझीदार घटकों के बीच टकराव उभर रहे हैं, जिनमें एक ओर बड़ा पूंजीपति वर्ग है और दूसरी ओर गैर-बड़े पूंजीपति, खासतौर पर

एमएसएमई क्षेत्र में लगे गैर-बड़े पूंजीपति हैं।

2.125 तीसरे, हमारे संविधान के संघीय ढांचे को ध्वस्त करने और उसकी जगह पर एकीकृत राज्य का ढांचा खड़ा करने के जरिए, देश पर अपना मुकम्मल राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की भाजपा की मुहिम, एक ओर केंद्र सरकार तथा दूसरी ओर निर्वाचित राज्य सरकारों के बीच, टकरावों को पैदा कर रही है। भाजपा की इस वर्चस्ववादी मुहिम ने, राज्य सरकारों का नेतृत्व कर रही कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों को, जो संसद में भाजपा का समर्थन करती आयी थीं और उन पार्टियों को जो ढुलमुलपन दिखाती रही थीं तथा संसद में भाजपा के लिए अपने समर्थन के लिए मोटे तौर पर तटस्थ बनी रही थीं, भाजपा के खिलाफ खड़े होने पर मजबूर किया है। इस किसान संघर्ष के दौरान खासतौर पर ऐसा हुआ है।

2.126 सत्ताधारी वर्ग के घटकों के बीच ऐसे टकरावों का उभरना, ऐसी संभावनाएं पैदा करता है जिनका शोषित वर्गों द्वारा तथा खासतौर पर मजदूर वर्ग, गरीब किसानों तथा खेत मजदूरों द्वारा पूंजीवादी-भूस्वामी व्यवस्था के खिलाफ अपनी वर्गीय लड़ाइयां तेज करने के लिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

2.127 वर्ग संघर्ष को आगे ले जाने की ऐसी संभावनाएं, मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियन आंदोलन, किसानों तथा खेत मजदूरों के बीच बढ़ते तालमेल से पैदा हुई हैं। इस तरह के घटनाविकास और काफी पहले शुरू हो चुके थे और 2018 के बाद से, इन तबकों के संयुक्त आंदोलनों के जरिए, उन्होंने उल्लेखनीय प्रगतियां की हैं। संघर्षों की इस बढ़ती एकता को, आने वाले दौर में और मजबूत किया जाना चाहिए।

समाहार

2.128 **सारांश** यह कि पिछली पार्टी कांग्रेस के बाद की अवधि में, भाजपा ने अपनी हैसियत पुख्ता की है। फासिस्टी आरएसएस के राजनीतिक बाजू के तौर पर काम करते हुए भाजपा, हमलावर तरीके से अपने हिंदुत्व के एजेंडा को लागू करने का प्रयास कर रही है। वह उन्मत्त तरीके से नवउदारवादी सुधारों को आगे बढ़ा रही है और तानाशाही को मजबूत कर रही है। इसकी व्यवस्थित तरीके से कोशिश की जा रही है कि संविधान को और संविधान के जरिए स्थापित प्राधिकरणों की स्वायत्तता को, कमजोर किया जाए।

2.129 इसके साथ ही साथ, महामारी के कुप्रबंधन तथा आर्थिक नीतियों द्वारा थोपी जा रही तकलीफों के खिलाफ, जन असंतोष बढ़ रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक व विजयी किसान संघर्ष, निजीकरण तथा श्रम कानूनों के निरस्त किए जाने के खिलाफ संयुक्त कार्रवाइयों और संघर्षों में ट्रेड यूनियनों, किसानों तथा खेत मजदूरों के संगठनों की उभरती हुई एकता को, मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि कुल मिलाकर हमले का कारगर तरीके से प्रतिरोध किया जा सके। यह सब, वर्ग संघर्षों के तीखे होने की ओर लेकर जाएगा।

2.130 इस दौर में भाजपा की केंद्र सरकार ने, अमरीकी साम्राज्यवाद के अधीनस्थ सहयोगी के भारत के दर्जे को और ज्यादा पुख्ता किया है और विभिन्न सैन्य व रणनीतिक संधियों तथा गुटों में भारत को धकेला है। पार्टी को भारत की जनता के बीच, साम्राज्यवादविरोधी चेतना को उभारना चाहिए।

राजनीतिक पार्टियों की स्थिति

2.131 **भाजपा:** भाजपा भारतीय शासक वर्ग की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बनकर सामने आयी है। उसने, आरएसएस के संजाल के आधार पर, जो कि तेजी से फैल रहा है, देश भर में अपना प्रभाव फैला लिया है। वह देश में प्रभुत्वशाली राजनीतिक पार्टी बन गयी है।

2.132 सन 2019 में सरकार बनाने के बाद से भाजपा ने नवउदारवादी सुधारों को आक्रामक तरीके से चलाने का रास्ता पकड़ा है तथा कारपोरेट-सांप्रदायिक गठजोड़ को पुख्ता किया है; अधीनस्थ सहयोगी के भारत के दर्जे को और मजबूत किया है तथा अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ रणनीतिक तथा सैन्य रिश्तों को मजबूत किया है; वह तेजी से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तीखा कर रही है और बढ़ती तानाशाही के जरिए जनतंत्र पर हमला कर रही है।

2.133 विभिन्न राज्यों में सरकारें बनाने के लिए भाजपा ने पूरी तरह से अलोकतांत्रिक, बेईमान तरीकों को अपनाया है। इसके लिए उसने तीन तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर, विपक्षी विधायकों के दलबदल कराए हैं। पहला, आर्थिक प्रलोभन तथा इसके साथ ही उच्च पदों पर नियुक्ति की पेशकश करना। दूसरा, सीबीआइ/ईडी तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराना-धमकाना। और आखिरी, मुकद्दमे लादना तथा

विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां।

2.134 अनेक राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा को अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिशों में नाकाबियां मिली हैं। झारखंड तथा महाराष्ट्र में वह सरकार नहीं बना पायी है। केरल में वह अपना इकलौता विधायक भी बनाए नहीं रख सकी है। प0 बंगाल में सरकार बनाने के उसके दांव को जनता ने ठुकरा दिया, हालांकि उसके विधायकों की संख्या तथा मत फीसद में बढ़ोतरी हो गयी। तमिलनाडु में, अपने गठबंधन की सहयोगी, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व में राज्य सरकार बनाए रखने की उसकी कोशिशों को शिकस्त मिली। असम में, 0.86 फीसद मतों के मामूली अंतर से ही, वह किसी तरह से अपनी सरकार बनाए रख सकी है।

2.135 इस समय उसके नेतृत्व में 12 राज्यों में सरकारें चल रही हैं और 6 अन्य राज्यों में वह गठबंधनों में है। उसे संसद के दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल है।

2.136 **कांग्रेस:** कांग्रेस पार्टी भारतीय शासक वर्गों—पूंजीपति तथा सामंती वर्ग, जिनका नेतृत्व बड़ा पूंजीपति वर्ग करता है—के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। जिन राज्यों में वह सरकारों का नेतृत्व कर रही है, वहां अब भी नवउदारवादी नीतियों पर चल रही है।

2.137 उसके राजनीतिक प्रभाव तथा सांगठनिक शक्ति में गिरावट हो रही है और इस समय वह एक के बाद एक संकटों में फंसी हुई है। विभिन्न राज्यों में उसके अनेक नेता दलबदल कर भाजपा में चले गए हैं। हालांकि यह पार्टी धर्मनिरपेक्षता का दावा करती है, लेकिन यह हिंदुत्ववादी ताकतों को कारगर तरीके से चुनौती देने में असमर्थ है और अक्सर समझौते का रुख अपनाती है। कमजोर हो गयी कांग्रेस, तमाम धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों को गोलबंद करने में असमर्थ है।

2.138 पार्टी की 22वीं कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव ने (पैरा 2.89) में कहा था कि अब, जबकि भाजपा सत्ता में है और आरएसएस के साथ उसके बुनियादी जुड़ाव को देखते हुए, वही मुख्य खतरा है। इसलिए, भाजपा और कांग्रेस, दोनों को समान खतरा नहीं माना जा सकता है। बहरहाल, कांग्रेस पार्टी के साथ कोई राजनीतिक गठबंधन कायम नहीं किया जा सकता है।

2.139 **क्षेत्रीय पार्टियां:** शुरूआत में खुद को क्षेत्रीय पूंजीपति-भूस्वामी वर्गों के

हितों के झंडाबरदार के रूप में स्थापित करने के बाद, आगे चलकर क्षेत्रीय पार्टियों ने आम तौर पर, नवउदारवादी रास्ते को अपना लिया है। अपने क्षेत्र में अपने हितों को सबसे ऊपर रखते हुए, ये पार्टियां अक्सर अपना राजनीतिक रुख बदलती रही हैं और राजनीतिक अवसरवाद का प्रदर्शन करती रही हैं। फिर भी, संघवाद पर बढ़ते हमलों के साथ, राज्य सरकारों का नेतृत्व कर रही अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का, भाजपा के साथ टकराव बढ़ता जा रहा है।

2.140 डीएमके पार्टी के नेतृत्ववाले धर्मनिरपेक्ष मोर्चे ने, भाजपा-अन्नाद्रमुक गठजोड़ को हराया है और तमिलनाडु में सरकार बनायी है। बिहार में राजद तथा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मुख्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने-अपने राज्य में, भाजपा के खिलाफ नेतृत्वकारी भूमिका अदा कर रही हैं। एनसीपी ने महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार को रोकने में एक भूमिका अदा की है। इसके लिए उसने, राज्य में सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस और शिव सेना के साथ गठबंधन कायम किया है। एनसीपी, केरल में एलडीएफ का भी हिस्सा है। कुछ राज्यों में, साामाजिक उत्पीड़न के मुद्दों का झंडा बुलंद करने वाली कहीं छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे कि तमिलनाडु में वीसीके, जो भाजपा के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक रुख अपनाती हैं।

2.141 इसके साथ ही भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का घोर दुरुपयोग कर, डराने, धमकाने तथा भयभीत किए जाने के चलते, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां दबाव में आ गयी हैं। वाइएसआर कांग्रेस तथा बीजद जैसी पार्टियां तटस्थता बनाए हुए हैं, जबकि संसद में बहुत हद तक सत्ताधारी पार्टी का समर्थन कर रही हैं। टीआरएस इस समय कुछ भाजपा-विरोधी रुख अपना रही है। शिव सेना तथा अकाली दल जैसी भाजपा की परंपरागत सहयोगी पार्टियों ने, अपने-अपने राज्यों में उसके साथ टकरावों के चलते, भाजपा से नाता तोड़ लिया है। जद (यू) तथा अन्नाद्रमुक, भाजपा के साथ गठजोड़ में बनी हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस, पहले भाजपा के नेतृत्ववाले एनडीए की हिस्सा रह चुकी है और अब भाजपा के खिलाफ खड़ी है। वह अपना सी पी आइ (एम) विरोधी तथा वामपंथविरोधी हमला जारी रखे हुए है और इस समय राष्ट्रीय स्तर पर भाजपाविरोधी ताकतों की नेता बनने की आकांक्षा रखती है। आंध्र प्रदेश में सत्ता में रही तेलुगू देशम् पार्टी, मुख्यत: भाजपा के पक्ष में झुकी हुई है।

2.142 क्षेत्रीय पार्टियां अगर केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ

संघर्षों में तथा सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता की हिमायत में संघर्षों में शामिल होने के लिए और तैयार हों, तो हम जहां उनके साथ सहयोग करना चाहेंगे, वहीं उनके प्रति अपना कार्यनीतिक रुख तय करते हुए, राज्य में उनके राजनीतिक रुख को हिसाब में लेकर चला जाना चाहिए।

2.143 उन राज्यों में जहां क्षेत्रीय पार्टियां सरकार का नेतृत्व कर रही हैं, हम जिन नीतियों के खिलाफ हैं, उन नीतियों के खिलाफ हमें स्वतंत्र रूप से तथा वामपंथी पार्टियों के साथ संयुक्त रूप से, जनता को गोलबंद करना चाहिए। फिर भी हम इन सरकारों को, भाजपा के नेतृत्ववाली सरकारों के साथ एक ही पलड़े पर नहीं रखेंगे।

2.144 जमाते इस्लामी तथा पापुलिर फ्रंट आफ इंडिया और उनके राजनीतिक मोर्चों जैसे मुस्लिम अतिवादी तथा तत्ववादी संगठन भी मौजूद हैं, जो हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा भयानक तरीके से हमलों का निशाना बनाए जाने की पृष्ठभूमि में, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पैदा हुए अलगाव तथा असुरक्षाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, उनकी गतिविधियां हिंदुत्ववादी ताकतों की ही मदद करती हैं। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जनतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतें, दृढ़तापूर्वक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत करें और उन्हें धर्मनिरपेक्ष मंच पर गोलबंद करें।

2.145 **वामपंथी पार्टियां:** राष्ट्रीय स्तर पर पांच वामपंथी पार्टियों ने विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई तथा संघर्ष के संयुक्त आह्वान किए हैं। महामारी के चलते, प्रभावी कार्रवाइयां तथा बड़ी गोलबंदियां संभव नहीं हुईं। वामपंथी विकल्प के प्रति जनता के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए, संयुक्त प्रयास जरूरी हैं। ये प्रयास जारी रहने चाहिए ताकि वामपंथी एकता को मजबूत किया जा सके। पार्टी को इसके लिए आवश्यक पहल करनी चाहिए।

2.146 वामपंथ, बिहार में चुनावी प्रगति दर्ज कराने में कामयाब रहा है। फिर भी, राजनीतिक रुखों में मतभिन्नता बनी हुई है। आरएसपी और आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक, केरल में कांग्रेस के नेतृत्ववाले यूडीएफ के साथ हैं और बंगाल में वाम मोर्चा के साथ। सी पी आइ (एमएल) ने बंगाल में दूसरी ही चुनावी कार्यनीति अपनायी थी। फिर भी, एक साझा समझ बनाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि वामपंथी

एकता को मजबूत किया जा सके।

2.147 **सी पी आइ (एम):** इस दौर में, जब भाजपा देश में प्रभुत्वशाली राजनीतिक पार्टी बनकर सामने आयी है और आरएसएस का संजाल तेजी से फैला है, हमारी पार्टी की स्वतंत्र शक्ति तथा हमारी राजनीतिक हस्तक्षेप की क्षमता का और क्षय हुआ है।

2.148 इस दौर में पार्टी ने संयुक्त संघर्षों को समर्थन देने में सक्रिय भूमिका अदा की है—पहले सीएए/एनपीआर/एनआरसी के विरोध में और आगे चलकर, ऐतिहासिक विजयी किसान आंदोलन के समर्थन में। नवउदारवादी नीतियों के दुष्प्रभावों के खिलाफ; नफरत तथा हिंसा के फैलने से बढ़ते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ; जनतांत्रिक अधिकारों व जनता की नागरिक स्वतंत्रताओं की हिफाजत करने के हक में; और ट्रेड यूनियनों व अन्य जनसंगठनों के आह्वान पर हुई विभिन्न हड़तालों/विरोध कार्रवाइयों के समर्थन में; हमारी पार्टी ने विभिन्न आंदोलन तथा संघर्ष चलाए हैं। देश के अनेक हिस्सों में पार्टी, अब भी जारी महामारी के दौरान राहत मुहैया कराने में सक्रिय रही है।

2.149 अपने कम्युनिस्टविरोधी विचारधारात्मक रुख के चलते आरएसएस-भाजपा, वामपंथ को और खासतौर पर सी पी आइ (एम) को निशाना बनाते आए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा केरल के हमारे गढ़ों को खासतौर पर, हमारे कार्यकर्ताओं तथा पार्टी कार्यालयों पर शारीरिक हमलों के लिए निशाना बनाया है।

2.150 **केरल:** केरल में, हमारे कार्यकर्ताओं पर आरएसएस-भाजपा के हमले और हत्याएं जारी हैं। भाजपा ने, एलडीएफ सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में, केंद्रीय एजेंसियों का घोर दुरुपयोग किया है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला यूडीएफ, इन कोशिशों में भाजपा का समर्थन करता है और उसने भी हमारे कार्यकर्ताओं पर शारीरिक हमले किए हैं तथा हत्याएं की हैं।

2.151 सी पी आइ (एम) के नेतृत्व में एलडीएफ ने 2021 में दोबारा केरल विधानसभा का चुनाव जीता है। यह अभूतपूर्व है क्योंकि पिछले चार दशक से ज्यादा से केरल के मतदाता हर बार चुनाव में सरकार बदलते आए थे। पिछली एलडीएफ सरकार के प्रदर्शन और इस जीत से, हमारी पार्टी को ताकत और प्रतिष्ठा मिली है।

2.152 एलडीएफ सरकार के उदाहरणीय काम से, जनता की जिंदगी से जुड़े मामलों में गुणात्मक बदलाव आए हैं। पिछली एलडीएफ सरकार ने समुचित तरीके से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू किया था और उनका परिपालन किया था। वैकल्पिक जनहितकारी नीतियों ने यह दिखाया कि संघीय व्यवस्था की सीमाओं के अंदर भी एक राज्य सरकार क्या कुछ कर सकती है। सांप्रदायिक सौहार्द्र को आधार बनाकर, जनता के सभी तबकों को संरक्षण मुहैया कराया गया है। महत्वपूर्ण रूप से, 2021 के विधानसभाई चुनाव में इस अभूतपूर्व जीत में, आरएसएस/भाजपा के खतरे के खिलाफ संघर्ष को रेखांकित करने वाली सुस्पष्ट राजनीतिक लाइन और कांग्रेस के नेतृत्ववाले यूडीएफ की भाजपा के प्रति समझौतावादी भूमिका के बेनकाब किए जाने का, योगदान रहा है।

2.153 केरल में आयीं एक के बाद राष्ट्रीय आपदाओं के सामने, जनता को राहत मुहैया कराने में पार्टी तथा एलडीएफ की भूमिका को बहुत सराहना मिली। अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के बल पर, वहां कोविड महामारी के विस्फोट को सबसे कुशलता से संभाला गया, जिसके लिए केरल की सारी दुनिया ने सराहना की थी। कोविड की बाद की लहरों को टैस्टिंग, ट्रेसिंग तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के जरिए उपचार के माध्यम से और स्थानीय निकायों की साझेदारी से, कारगर तरीके से संभाला गया है।

2.154 **पश्चिम बंगाल:** पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी को फासिस्टी हमलों के रूप में भारी दमन का सामना करना पड़ा है। इन हमलों के खिलाफ प्रतिरोध किया गया है। 2011 से 2021 के बीच, हमारे 229 कामरेडों की हत्या की गयी है। इसी अवधि में हमारे 1 लाख 2 हजार से ज्यादा पार्टी सदस्यों तथा हमदर्दों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया है और पार्टी को शहरी इलाकों में उनकी देख-भाल की व्यवस्था करनी पड़ी है। हमारे 1 लाख 30 हजार से ज्यादा सदस्यों तथा हमदर्दों पर झूठे मामले लाद दिए गए हैं और इस तरह उन्हें परेशान किया जा रहा है तथा डराया-धमकाया जा रहा है। इस दमन का बहादुरी से सामना करते हुए, पार्टी तथा जनसंगठनों ने केंद्रीय तथा राज्य स्तर के आह्वानों का पालन करने तथा विरोध कार्रवाइयों के लिए, विशाल संख्या में लोगों को गोलबंद करते हुए अनेक संघर्ष चलाए हैं।

2.155 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार तबाह करने वाली थी। पार्टी ने गंभीर, आत्मालोचनात्मक आत्मपरीक्षण किया है और सबक निकाले हैं। इन्हें पार्टी को अच्छी तरह से हृदयंगम होगा और ईमानदारी से लागू करना होगा।

2.156 **त्रिपुरा:** त्रिपुरा में हमारी पार्टी को, राज्य सरकार के संरक्षण में भाजपा के फासीवादी हमले झेलने पड़ रहे हैं। पार्टी के 22 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। इससे पहले, जनता के मुद्दों पर हमारी पार्टी तथा हमारे जनसंगठनों के संघर्षों तथा विरोध कार्रवाइयों के जवाब में, भाजपा ने बड़े पैमाने पर हमले किए तथा राज्य भर में पार्टी के 47 कार्यालयों पर आगजनी की, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया तथा तोड़ा-फोड़ा। पार्टी के सैकड़ों सदस्यों व हमदर्दों के घरों को और वाहनों, किताबों तथा फर्नीचर को भी नष्ट कर दिया गया। इन हमलों में अनेक कामरेड भी घायल हुए और कुछ को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा।

2.157 भाजपा के शासन में, सारे स्थानीय निकाय चुनावों को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। इन चुनावों में विपक्षी उम्मीदवारों को नामजदगी के पर्चे भरने से ही या मतदान से रोका गया है। बड़े पैमाने पर हिंसा, आतंक तथा करीब-करीब पूरी तरह से धांधली ही, इन चुनावों की पहचान रही है।

2.158 पहले आदिवासी स्वायत्त परिषदों के चुनाव में और आगे चलकर, स्थानीय निकायों के 334 वार्डों के चुनावों में, हमारे अनेक कामरेडों को नामजदगी के पर्चे भरने से रोका गया और जो पर्चे भरने में कामयाब भी हो गए, उन्हें बड़े पैमाने पर हिंसा के साथ, नाम वापस लेने के लिए धमकाया गया। भाजपा ने 112 वार्डों को निर्विरोध जीत लिया और शेष 222 वार्डों में से, 5 को छोड़कर शेष सारी की सारी सीटें बड़े पैमाने पर धांधली के जरिए जीत लीं। इन हालात में भी वाम मोर्चा को करीब 20 फीसद वोट मिले।

वामपंथी और जनवादी मोर्चा

2.159 पार्टी को वामपंथी और जनवादी मोर्चे के निर्माण की कोशिशों को प्राथमिकता देनी चाहिये। पार्टी की 21 वीं कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में इसकी रूपरेखा को इन शब्दों में स्पष्ट किया गया है:

''इस दिशा में एक कदम साझा मांगपत्र के आधार पर मजदूरों और किसानों

के संयुक्त संघर्षों पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न वर्गीय तथा जन संगठनों के एक साझा मंच का निर्माण करना होगा। मजदूरों तथा किसानों के संयुक्त संघर्षों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। '' (21वीं पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव का पैरा 2.87)

''इस समय वामपंथी तथा जनतांत्रिक मोर्चे खींची जा सकने वाली शक्तियों के केंद्र में हैं वामपंथी पार्टियां तथा उनके वर्गीय व जनसंगठन ; वामपंथी ग्रुपऔर बुद्धिजीवी; विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बिखरे हुए समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी पार्टियों के जनतांत्रिक हिस्से; आदिवासियों, दलितों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के जनतांत्रिक संगठन और ऐसे सामाजिक आंदोलन जो उत्पीड़ित तबकों के मुद्दे उठाते हैं। पूंजीवादी-भूस्वामी पार्टियों से बिल्कुल भिन्न तथा उनकी नीतियों कि विरोधी कार्यक्रम पर आधारित संयुक्त मंच पर इन सभी ताकतों को खींचने के जरिए ही, वामपंथी और जनतांत्रिक मोर्चे की दिशा में प्रगति एक ठोस रूप ले सकती है।'' (22वीं पार्टी कांग्रेस के राजनैतिक प्रस्ताव का पैरा 2.110)

2.160 इस समझ को आगे बढ़ाते हुये वामपंथी जनसंगठनों का एक संयुक्त मंच - जन एकता जन अधिकार आंदोलन (जेजा)- बनाने के प्रयास किये गये। बहरहाल, कई कारणों से यह मंच उस तरह से काम नहीं कर पाया जैसा कि सोचा गया था। कारगर संयुक्त मंच बनाने के प्रयास जारी रखे जाने चाहिये।

2.161 वर्गीय और जन संगठनों के संयुक्त संघर्ष संगठित किये गये। इन की खास बात ट्रेड यूनियनों, किसानों और खेत मजदूर संगठनों की संघर्षों में मजबूत होती एकता रही। गहराते हुये कृषि संकट से निकलने वाली साझा मांगों पर, किसान संगठनों की व्यापक एकता कायम की गयी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआइकेएससीसी) ने एक देशव्यापी अभियान छेड़ा और 500 से ज्यादा किसान संगठनों की भागीदारी के साथ एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसी से संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का उदय हुआ, जिसने ऐतिहासिक किसान संघर्ष का नेतृत्व करते हुये उसे जीत दिलायी।

2.162 इस किसान संघर्ष के प्रति विभिन्न जनसंगठनों, सामाजिक आंदोलनों और बुद्धिजीवियों ने जो एकजुटता प्रदर्शित की, उसे मजबूत किया जाना चाहिये। हर राज्य में जो ताकतें वामपंथी और जनवादी मोर्चे का हिस्सा हो सकती हैं, उन्हें ठोस

रूप से चिन्हांकित करने का काम अभी उल्लेखनीय रूप से नहीं किया जा सका है। इस काम को तेजी के साथ पूरा किया जाना चाहिये। इस आधार पर, संघर्षों की एकता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि वामपंथी एवं जनवादी कार्यक्रम को, पूंजीवादी सामंती नीतियों के एकमात्र वास्तविक विकल्प के रूप में पेश किया जा सके।

वामपंथी और जनवादी कार्यक्रम

2.163 पूंजीवादी-सामंती नीतियों के विकल्प के रूप में वाम जनवादी कार्यक्रम की रूपरेखा के आधार निम्नलिखित होने चाहिये:

(अ) **आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करना:** सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण को पलटा जाये ; पानी, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधायें सुनिश्चित की जायें ; राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन और रक्षा कारखानों का निगमीकरण रद्द किया जाये ; दरबारी पूंजीवाद को खत्म किया जाये ; मंझले और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये ; अनौपचारिक क्षेत्र को संरक्षण दिया जाये; अति-अमीरों पर टैक्स लगे ; संतुलित विकास की बहाली ; बहु-प्रतीक्षित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, जिससे नौकरियों का सृजन किया जा सके तथा घरेलू मांग को बढ़ावा दिया जा सके; भूमि सुधार लागू हों; सहकारी खेती, उत्पादन और विपणन के माध्यम से कृषि का विकास। भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जाये।

(आ) **भारतीय संविधान की और गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक चरित्र की रक्षा करना:** संवैधानिक व्यवस्था के मूल स्तम्भों को मजबूत करने के लिये वैकल्पिक नीतियां। धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत यानी धर्म को राज्य और राजनीति से अलग रखने को एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में सूत्रबद्ध करना। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर आधारित नफरत और हिंसा की मुहिम पर प्रतिबंध लगाया जाए; धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन, स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा की जाए; व्यवस्था और सरकारी संस्थानों को घोर-सांप्रदायिक अधिकारियों से स्वच्छ कराया जाए; सभी अवैध निजी सेनाओं और स्वयंभू-रक्षक समूहों पर प्रतिबंध लगाया जाए ; भीड़ द्वारा घेरकर हमले/ हत्या के खिलाफ कानून बनाया जाए। सीएए, एनआरसी, एनपीआर का रद्द किया जाना।

(इ) **संविधान द्वारा गारंटीकृत जनतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की हिफाजत**। वर्तमान स्वरूप में यूएपीए को खत्म करना, जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा है। राजद्रोह कानून, अफस्पा और एनएसए को खत्म करना; मृत्यु दंड को खत्म करना; चुनावी बांडों की योजना को खत्म करना; आंशिक सूची प्रणाली के साथ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सहित चुनाव सुधार लागू कराना ; सामाजिक मूल्यांकन (सोशल ऑडिटिंग) और जवाबदेही की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाये; सूचना के अधिकार कानून को कड़ाई के साथ लागू किया जाये।

(ई) **संघवाद:** राज्यों को अधिक शक्तियां देने के साथ केंद्र राज्य-संबंधों का पुनर्गठन हो; केंद्रीय अधिभारों और उपकरों को साझा बनाकर राजकोषीय संघवाद को मजबूत किया जाए और केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व को विभाज्य पूल का हिस्सा बनाया जाए ; अंतर-राज्यीय परिषद, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को पुनर्जीवित किया जाए; राज्यपाल की संस्था पर पुनर्विचार किया हो; अनुच्छेद 356 को उपयुक्त बचाव व्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्थापित किया जाए। जम्मू और कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा, उसकी स्वायत्तता के साथ बहाल किया जाए; अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति को निरस्त करना।

(उ) **मजदूर वर्ग और किसान:** अकुशल श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर 21,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम मजदूरी की वैधानिक गारंटी करना; चार श्रम संहिताओं को निरस्त करना; गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियनों की मान्यता सुनिश्चित करना; सामाजिक सुरक्षा तथा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की गारंटी; सी 2 + 50 च फार्मूले के आधार पर सभी फसलों और सभी किसानों के लिए एमएसपी के भुगतान का कानून बनाना; केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए ऋण माफी; खेत मजदूरों की मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के लिए, केंद्रीय कानून।

(ऊ) **सामाजिक न्याय:** जाति व्यवस्था और जातिवादी उत्पीड़न के सभी रूपों को समाप्त करना; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बुनियादी मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करना; अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिये उप-योजना के साथ, इनके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति

के गठन हेतु केंद्रीय कानून बनाना; आदिवासियों के वन भूमि, आजीविका के अधिकारों और उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिये, संवैधानिक और कानूनी प्रावधान; निजी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाना; जातीय जनगणना कराना; आरक्षित श्रेणियों में नौकरियों के तमाम बैकलॉग को भरना; सिर पर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन का सख्ती से क्रियान्वयन; छुआछूत की प्रथाओं के खिलाफ सख्त सजा; वन अधिकार कानून का सख्ती से क्रियान्वयन; अन्य पिछड़े वर्गों की गणना के लिए जातिगत जनगणना।

महिलाएं: महिला आरक्षण विधेयक पारित करना; महिलाओं के समान अधिकार और समान वेतन सुनिश्चित करना; महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा में भयानक वृद्धि के खिलाफ कड़े उपाय; रोकथाम, अंकुश लगाने और दोषियों को दंडित करने के लिए कड़े कदम; 'इज्जत के नाम पर होने वाले अपराधों' पर प्रतिबंध का कानून।

बच्चे: देश के सभी बच्चों को दायरे में लाते हुये आईसीडीएस का सार्वभौमीकरण; शिक्षा के अधिकार कानून का कड़ाई से पालन; बाल श्रम के सभी रूपों पर प्रतिबंध; बच्चों की तस्करी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई।

एलजीबीटी: ट्रांसजेंडर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनका विस्तार किया जाए; एलजीबीटी नागरिकों के साथ होने वाले अपराधों और उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए, कानूनी उपायों सहित सख्त कार्रवाई की जाए।

विकलांगता: विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी कानूनों के सख्त क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन; राष्ट्रीय विकलांगता नीति में सुधार करना और अन्य कानूनों में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप संशोधन करना; रिक्त पड़े पदों के बैकलॉग भरना; परिवहन और आईटी की सेवाओं को सुलभ बनाने के लिये ढांचागत निर्माण।

(ए) **जन कल्याण:**

1) **सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाना:** सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना; सार्वभौमिक पेंशन लाभ; शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और आवास।

2) **रोजगार:** मनरेगा के तहत काम का विस्तार और मजदूरी में वृद्धि; शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाया जाना; बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना।

3) **नई शिक्षा नीति को निरस्त करना:** पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्या में बदलाव ताकि संवैधानिक मूल्यों को मजबूत किया जा सके और वैज्ञानिक मिजाज को पोसा जा सके; निजी शिक्षण संस्थानों को विनियमित करना; शिक्षा पर केंद्रीय आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक बढ़ाना ; शिक्षा में डिजिटल विभाजन को खत्म करना।

4) **राजकीय वित्त पोषण के साथ सार्वभौम स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था;** स्वास्थ्य पर सरकारी आवंटन बढ़ाते हुये, इस पर किये जाने वाले केंद्रीय व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 5 प्रतिशत तक बढ़ाना। आवश्यक दवाओं की कीमतों को कम करना; निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को विनियमित करना।

5) **पर्यावरण:** विनियमन के माध्यम से जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण की रक्षा करना; वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना ; सभी के लिए ऊर्जा समता सुनिश्चित करना; वनों और वैटलैंड का संरक्षण करना; प्रदूषण की जांच और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना।

6) **संस्कृति और मीडिया:** लोगों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुये, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी संस्कृति का विकास करना ताकि सांप्रदायिक और पुरातनपंथी प्रभावों को रोका जा सके; लोक कलाओं सहित सांस्कृतिक रूपों और परंपराओं की बहुलताओं का पोषण करना; संविधान की 8 वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं को समान रूप से प्रोत्साहित और विकसित करना। सांस्कृतिक व्यक्तियों और प्रस्तुतियों पर किये जाने वाले सांप्रदायिक हमलों से दृढ़ता से निपटना। स्वतंत्र (फ्री) सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना।

प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना; लोक प्रसारण सेवाओं को मजबूती देना; मीडिया में इजारेदारी और क्रॉस ओनरशिप (एकाधिक रूपों पर स्वामित्व) पर रोक; मीडिया के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण; मीडियाकर्मियों के लिए संरक्षण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

7) **विदेश नीति:** भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को सख्ती से सुनिश्चित

करना; अमेरिकी साम्राज्यवाद के अधीनस्थ सहयोगी की भारत की वर्तमान स्थिति को उलटना; सभी रणनीतिक और रक्षा समझौतों पर पुनरावलोकन करना ; अमेरिकी रणनीतिक हितों व चिंताओं को बढ़ावा देने वाले सभी क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों से अलग होना।

पार्टी को मजबूत करना

2.164 पश्चिम बंगाल में हमारे जनाधार में भारी गिरावट हुई है। त्रिपुरा में भी यह घट रहा है। 2019 के आम चुनावों में हमें मिले वोट अब तक के सबसे कम वोट थे। 16वीं पार्टी कांग्रेस से ही हम पार्टी की स्वतंत्र शक्ति और प्रभाव को मजबूत करने की आवश्यकता को दर्ज करते आ रहे हैं।

2.165 17वीं पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया था:

''हमारे भविष्य की दिशा तय करते हुए, मुख्य चिंता यह होनी चाहिए कि पार्टी की स्वतंत्र भूमिका और प्रभाव को कैसे मजबूत किया जाए। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हमने काफी समय से इस संबंध में बहुत प्रगति नहीं की है।'' (2.80)

2.166 22वीं पार्टी कांग्रेस के बाद की अवधि के दौरान चुनाव परिणामों की समीक्षा ने अन्य बातों के अलावा हमारी स्वतंत्र शक्ति और राजनीतिक हस्तक्षेप की क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता के बुनियादी मुद्दे को रेखांकित किया है। यह अपरिहार्य है। पार्टी ने इस संबंध में अतीत में, कई अवसरों पर कई राजनीतिक और सांगठनिक निर्णय लिए हैं। इन्हें पार्टी द्वारा आत्मसात किया जाना चाहिए और सही तरीके से इन्हें तत्काल लागू किया जाना चाहिए।

2.167 यह अत्यावश्यक है कि इस गिरावट को रोका जाये और इसे पलटा जाये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक हम अपने क्रांतिकारी कार्यों को साकार करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें निम्नलिखित कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए:

(अ) राजनीतिक, वैचारिक और संगठनात्मक कार्य को तत्काल मजबूत किया जाये। हमारे राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने के उद्देश्य से लोगों के साथ

जीवंत संपर्क बनाने, वर्गीय और जन संघर्षों को निरंतर विकसित करने और इन्हें अपने राजनीतिक प्रभाव में बांधने के लिए, सर्वांगीण और केंद्रित प्रयास किये जाने चाहिए। साक्षरता अभियानों और विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालयों की स्थापना जैसी गतिविधियां, अपनायी जानी चाहिए।

(आ) लोगों और उनकी समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय स्तर के संघर्षों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इस तरह के संघर्ष केवल प्रतीकात्मक नहीं होने चाहिए और इन्हें ठोस सफलतायें मिलने तक जारी रखा जाना चाहिये।

(ग) कोविड महामारी, उसके बाद लगे लॉकडाउन और उसके प्रतिबंधों ने जुझारू जनांदोलनों को विकसित करने में स्वाभाविक रूप से बाधाएं पैदा की हैं। इस कमी को लोगों के सामने आने वाली आजीविका की अनेक प्रकार की समस्याओं के बड़े मुद्दों पर जन संघर्षों की उचित योजना बनाकर तथा उन योजनाओं को क्रियान्वित करके, दूर किया जाना चाहिए।

(घ) पार्टी को वैचारिक, राजनीतिक और सांगठनिक रूप से हिंदुत्ववादी ताकतों की चुनौती का जोरदार ढंग से मुकाबला करना होगा। हमें विभाजनकारी सांप्रदायिक एजेंडे और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के इस तरह से हो रहे विनाश का मुकाबला करना होगा। हमें अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण का चैंपियन बनना होगा। हमें एक समावेशी भारत की चेतना को मजबूत कर के, हिन्दुत्ववादी राष्ट्रवाद को भारतीय राष्ट्रवाद के जरिये चुनौती देनी होगी।

(ई) पार्टी को सामाजिक भेदभाव, जातिवादी उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों पर संघर्ष करना चाहिए। सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्षों को, आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्षों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। वर्गीय एकता को तोड़ने वाली पहचान की राजनीति के खिलाफ संघर्ष किये जाने चाहिये।

(च) संगठन के बारे में कोलकाता प्लेनम के निर्णयों को तत्काल सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। प्लेनम के दिशानिर्देशों के आधार पर, पार्टी संगठनों को चुस्त-दुरुस्त किया जाना चाहिए।

हिंदुत्व से निबटने का तरीका

2.168 हिंदुत्ववादी ताकतों को अलग-थलग करने के लिए, पार्टी को मजबूत करना पहली जरूरत है। हिंदुत्व और इसके बहुविध सांप्रदायिक संगठनों का मुकाबला राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सतत रूप से किया जाना चाहिए। हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ इस संघर्ष को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

2.169 पार्टी और जन संगठनों को, इस अनवरत संघर्ष का संचालन करने के लिये:

1). पार्टी द्वारा इसी काम के लिये गठित समूहों को, लगातार वैचारिक और राजनीतिक सामग्री तैयार करनी चाहिए। यह एक लोकप्रिय शैली में होना चाहिए ताकि जनता के बड़े हिस्सों तक पहुंचकर हिंदुत्व और सांप्रदायिक ताकतों के प्रतिक्रियावादी असर को बेनकाब किया जा सके।

2). हिंदुत्ववादी समूहों के हमले का मुकाबला करना, जो नफरत और आतंक के एक भीषण अभियान को खड़ा करते हैं और विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों पर फासीवादी हमले शुरू करते हैं। वृहत्तर स्तर पर तथा जमीनी स्तर पर भी, दोनों स्तरों पर सार्वजनिक जीवन को सांप्रदायिक बनाने के प्रयासों का प्रतिवाद करने के लिए, अत्यधिक चौकसी बनाए रखने की जरूरत है।

3). तर्कसंगतता पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के जरिए, बढ़ती रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अतार्किकता और अंधश्रद्धा का मुकाबला करने और तार्किकता पर आधारित धर्मनिरपेक्ष सोच को बढ़ावा देने के लिये सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा लोकप्रिय विज्ञान आंदोलनों को संगठित करने को आगे बढ़ाना। यह, हिंदुत्व ब्रिगेड द्वारा फैलायी जाती तर्कहीनता और विवेकहीनता के प्रसार का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है।

4). सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ मुद्दों पर आंदोलनों का नेतृत्व करना। हिंदुत्व, महिलाओं को समान अधिकारों से वंचित करता है और लैंगिक पराधीनता को सही ठहराते हुए, महिलाओं पर होने वाले क्रूरतापूर्ण हमलों के लिये माहौल बनाता है।

5). दलितों और आदिवासियों के बीच, घातक हिंदुत्ववादी जातिवादी और पुरातनपंथी मूल्यों के प्रसार का मुकाबला करना। भारतीय समाज की गंगा-जमुनी संस्कृति को रेखांकित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

6). समाज सेवा गतिविधियों को बढ़ावा देना। कोविड महामारी के समय में किए जा रहे कार्यों को स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से जारी रखा जाना चाहिए। पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना, शैक्षिक कोचिंग केंद्र, कौशल विकास केंद्र जैसी गतिविधियां शुरू की जानी चाहिए।

7). आरएसएस और हिंदुत्ववादी ताकतें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं। हमें शिक्षा के क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक, समन्वयात्मक सामग्री तैयार करने और उसका प्रचार करने के लिए, शैक्षिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की पहल करनी चाहिए।

2.170 ऐसी गतिविधियों के अभाव में आरएसएस-भाजपा और सांप्रदायिक संगठन, एक ऐसी सामाजिक ''हिंदू पहचान'' को, जो मोटे तौर पर सामाजिक तथा एथनिक विभाजनों के आर-पार जाती है, मजबूत करने में सफल हो जाते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तर्कहीनता का तर्कसंगतता से और विवेकहीनता का विवेक से मुकाबला करना।

राजनीतिक लाइन

2.171 (1) भाजपा सरकार के लगभग आठ वर्षों ने सांप्रदायिक कॉर्पोरेट गठजोड़ मजबूत होते और तानाशाहीपूर्ण हमलों को बढ़ते हुए देखा है। 2019 में सरकार में वापस आने के बाद से भाजपा फासीवादी आरएसएस के हिंदू राष्ट्र एजेंडे को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रही है। इसके साथ नव-उदारवादी नीतियों को ऐसे ही आक्रामक रूप से लागू करने और शासन की तानाशाही के बढ़ने का सिलसिला जारी है। आरएसएस द्वारा संचालित हिंदुत्व राष्ट्र का एजेंडा संवैधानिक ढांचे का घातक रूप से क्षरण कर रहा है और भारतीय गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक चरित्र को नष्ट कर रहा है।

(2) इस प्रकार, आज मुख्य कार्य है—भाजपा को अलग-थलग करना और उसे हराना। इसके लिए सी पी आइ (एम) और वामदलों की स्वतंत्र शक्ति के

विकास की आवश्यकता है, ताकि वर्गीय और जन संघर्षों में लोगों को ताकतवर जुझारू तरीके से लामबंद किया जा सके।

(3) हिंदुत्व के एजेंडे और सांप्रदायिक ताकतों की गतिविधियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए भी, पार्टी और वामपंथी ताकतों को मजबूत करने की आवश्यकता है। पार्टी को हिंदुत्वी सांप्रदायिकता के खिलाफ, सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों की व्यापक लामबंदी के लिए काम करना चाहिए।

(4) पार्टी को आक्रामकता के साथ लागू की जा रही नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ, हमारी राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की सरासर जारी लूट, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाओं और खनिज संसाधनों के बड़े पैमाने पर निजीकरण के खिलाफ, लोगों के व्यापक हिस्सों को एकजुट करने के लिए सबसे आगे रहना चाहिए। हाल के किसान संघर्ष की तरह, वर्गीय और जन संघर्षों को तेज करके ही लोगों की व्यापकतम लामबंदी की जा सकती है और कॉरपोरेट-सांप्रदायिक शासन के खिलाफ विपक्षी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ लाने का काम पूरा किया जा सकता है।

(5) हिंदुत्व-कॉरपोरेट शासन के खिलाफ लड़ाई की सफलता का तकाजा है कि हिंदुत्वी सांप्रदायिक ताकतों और नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ, एक साथ संघर्ष किया जाए।

(6) पार्टी, सहमति के मुद्दों पर, संसद में धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों के साथ सहयोग करेगी। संसद के बाहर पार्टी सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ, सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों की व्यापकतम लामबंदी के लिए काम करेगी। पार्टी और वामपंथ स्वतंत्र रूप से और अन्य जनतांत्रिक ताकतों के साथ संयुक्त रूप से, मुद्दों के आधार पर, नव-उदारवाद के हमलों; लोकतंत्र, लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ तानाशाहीपूर्ण हमलों, दमनात्मक कानूनों का इस्तेमाल कर असहमति के दमन, के खिलाफ लड़ेंगे।

(7) पार्टी वर्गीय संगठनों और जन संगठनों की साझी कार्रवाइयों के लिए संयुक्त मंचों का समर्थन करेगी। पार्टी, मजदूर-किसान-खेत मजदूरों की साझी कार्रवाइयों को मजबूत करने वाले सभी कदमों का समर्थन करेगी।

(8) पार्टी की स्वतंत्र शक्ति के विकास के साथ ही, वामपंथी एकता को

मजबूत करने के प्रयासों को प्राथमिकता पर लिया जायेगा। संयुक्त वामपंथी अभियान और संघर्षों को, पूंजीवादी सामंती शासक वर्ग की नीतियों के मुकाबले में, वैकल्पिक नीतियों को सामने लाना चाहिए।

(9) पार्टी, जन संगठनों और सामाजिक आंदोलनों सहित, तमाम वामपंथी और जनतांत्रिक ताकतों को एकजुट करने के लिए, सतत रूप से काम करेगी। वाम और जनतांत्रिक मंच को संघर्षों अपने अभियानों तथा संघर्षों के जरिए, वामपंथी और जनतांत्रिक कार्यक्रम को वैकल्पिक नीतियों के रूप में जनता के सामने उभारना चाहिये।

(10) जब कभी चुनाव होंगे, उपरोक्त राजनीतिक लाइन के आधार पर, समुचित चुनावी कार्यनीति तय की जाएगी, जिससे भाजपा-विरोधी वोटों के एक साथ आने को अधिकतम किया जा सके।

वर्तमान परिस्थिति में कार्यभार

2.172 1) पार्टी को अपनी स्वतंत्र भूमिका को मजबूत करने, अनवरत वर्गीय और जन संघर्षों के माध्यम से अपने प्रभाव और राजनीतिक हस्तक्षेप की क्षमताओं का विस्तार करने को, प्राथमिकता देनी चाहिए। जनता की समस्याओं पर स्थानीय संघर्षों को मजबूत करने पर, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इनकी निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

2) नव-उदारवादी नीतियों के तेजतर हुए आर्थिक शोषण के शिकार हुये जनता के सभी तबकों को, आजीविका के मुद्दों पर संघर्षों के लिए एक साथ लामबंद किया जाना चाहिए। जो भी स्वत:स्फूर्त संघर्ष विकसित होते हैं, उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए पार्टी को, उनमें सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए और उनमें शामिल होना चाहिए।

3) हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में पार्टी को सबसे आगे रहना चाहिए। इस संघर्ष को अनेकानेक स्तरों पर सतत तरीके से चलाया जाना चाहिए। हिंदुत्ववादी ताकतों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों की व्यापकतम संभव एकता कायम की जानी चाहिए, जिसमें इसकी परवाह करने वाले नागरिकों, संगठनों तथा सामाजिक आंदोलनों, सभी के लिए जगह हो।

4) पार्टी को तानाशाहीपूर्ण कदमों का विरोध करने में अगुआई करनी चाहिए और तमाम जनतांत्रिक ताकतों का सहयोग लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता, कलात्मक स्वतंत्रता और अकादमिक स्वायत्तता की रक्षा के लिये; हिंदुत्वी सांप्रदायिकता की हरकतों के खिलाफ और संवैधानिक व्यवस्था की जनतांत्रिक व धर्मनिरेक्ष अंतर्वस्तु के विनाश के खिलाफ, संयुक्त संघर्षों को खड़ा किया जा सके।

5) पार्टी को सामाजिक न्याय के लिए संघर्षों को आगे बढ़ाने के प्रयासों को मजबूत करना चाहिए और महिलाओं, दलितों तथा आदिवासियों के सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध मुद्दों पर संघर्षों का झंडा बुलंद करना चाहिए।

6) हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता के आक्रामक हमलों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत और उनकी सुरक्षा के प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए।

7) पार्टी को पुरातनपंथ, अंधविश्वास, तर्कहीनता और अंधश्रद्धा की बढ़त के खिलाफ वैचारिक/ सामाजिक संघर्षों को मजबूत करना चाहिए। पार्टी को वैज्ञानिक सोच विकसित करने और तर्कहीनता और पुरातनपंथ के खिलाफ तर्कसंगतता और विवेकशीलता के लिए जनता के बीच बहस को मजबूत करने के अभियानों में, सबसे आगे होना चाहिए। वैज्ञानिक सोच की रक्षा में और पुनरुत्थानवाद के खिलाफ, व्यापक लामबंदी की जानी चाहिए।

8) पार्टी को हमारी राष्ट्रीय व आर्थिक संप्रभुता की हिफाजत करने के लिए, भारतीय जनता के बीच साम्राज्यवाद-विरोधी चेतना को जागृत करना चाहिए। पूंजीवाद के एकमात्र वास्तविक विकल्प के रूप में समाजवाद को सामने लाने वाले, अभियानों को मजबूत किया जाना चाहिए।

9) पार्टी को, अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने मोदी सरकार के समर्पण कर देने के खिलाफ जनमत जुटाना चाहिए। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की बहाली के लिए संघर्ष किए जाने चाहिए।

10) पार्टी को केरल की एलडीएफसरकार की और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पार्टी के खिलाफ जारी फासीवादी हमलों के खिलाफ, हिफाज़त

का काम करना चाहिये।

निष्कर्ष

2.6 इन कामों को पूरा करने के लिए, पूरे देश में एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण आवश्यक है। मार्क्सवाद और लेनिनवाद के आधार पर, पूरे देश में जनाधार वाली, एक मजबूत पार्टी का निर्माण केवल कोलकाता प्लेनम द्वारा संगठन के संबंध में लिए गए निर्णयों को गंभीरता से लागू करके ही किया जा सकता है। इसके लिए, विशेष रूप से, निम्न पर ध्यान केंद्रित करके किया जाये:

1) जनता के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए, एक जनलाइन वाली, क्रांतिकारी पार्टी को मजबूत करना।

2) लोगों के बीच पार्टी की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना और वाम और जनतांत्रिक ताकतों को गोलबंद करना।

3) कोलकाता प्लेनम के निर्देशानुसार, गुणवत्तापूर्ण सदस्यता के साथ पार्टी संगठन को मजबूत करना।

4) युवाओं के साथ-साथ महिलाओं को, पार्टी में आकर्षित करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना।

5) तमाम विजातीय विचारधाराओं के खिलाफ वैचारिक संघर्षों को मजबूत करना।

आइए, हम एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के
अपने संकल्प को दोगुना मजबूत करें!
जनलाइन वाली एक क्रांतिकारी पार्टी बनने की ओर आगे बढ़ें!
अखिल भारतीय जनाधार वाली एक मजबूत
सीपीआइ (एम) बनने की ओर आगे बढ़ें!

राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे में संशोधन भेजने की प्रक्रिया

राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे में संशोधन भेजने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. सभी संशोधनों में पैरा नंबर और लाइन नंबर का उल्लेख होना चाहिए।
2. संशोधन का प्रस्ताव करने वाले संबंधित कामरेड या यूनिट के नाम और इकाई का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
3. सभी संशोधन पार्टी केंद्र तक पहुंचने की अंतिम तिथि 10 मार्च, 2022 है।
4. डाक या कूरियर द्वारा भेजे जा रहे संशोधनों को निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए –

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
केंद्रीय कमेटी, ए के गोपालन भवन
27-29 भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली, 110 001

5. लिफाफे पर '' राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे में संशोधन'' इंगित किया जाए।
6. ईमेल द्वारा संशोधन भेजने वालों से अनुरोध किया जाता है कि वे इसे केवल पाठ या वर्ड फाइलों के रूप में संशोधन भेजें। अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में संशोधन भेजने वालों को पीडीएफफाइलें भेजनी चाहिए।
7 ''राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे के लिए संशोधन'' का ईमेल के विषय में उल्लेख किया जा सकता है और pol.@cpim.org. को भेजा जा सकता है।
8. अच्छा होगा यदि संशोधन निम्नलिखित स्वरूप में भेजे जायें :

क्रमांक	पैरा क्रमांक	लाइन क्रमांक	संशोधन प्रस्तावक